spent on it as against its orginal estimate of Rs. 2,256 crores. Even though it was the Central Government, which was responsible for the delay and the consequent cost escalation, the Company had to borrow as on 1991-92, an amount of Rs. 4,668 crores as its equity base was not commensurately increased by the Government. The company was to pay 18 per cent as interest. As a matter of fact, two steel melt shops of 22.5 and 11.5 lakh tonnes capacity are required to be built to produce 34 lakh tonnes of steel. Then, because of reduction in the production cost, it gave up construction of 11.5 lakh capacity steel melt shop. In the same manner, even though there was a requirement for four rolling mills, the management convinced the Government with a new project report and by reducing the universal beam mill. In the absence of the second melt shop, the Plant is unable to make use of its full capacity. As a result, it started incurring losses as it was not able to earn sufficiently on the total capital employed because huge amounts were also spent for facilitating future expansion plans.

With a view to expanding the capacity over a period of time to 10 million tonnes, the Government spent more money than required for a 3 million tonne plant. It is possible to get reasonable returns on the excess expenditure incurred only when the capacity is expanded to its targetted levels. For any such expansion, the Government is required to provide sufficient budgetary allocation.

If the Visakhapatnam Steel Plant has to come out of its present crippling financial problem, it has to immediately take up completion of the second steel melt shop, which was given up in 1986. At the present price level, in order to construct a plant with a capacity of 10 lakh tonnes, we require an investment of Rs. 3,500 crores. But, as the VSP has already invested some amount, it would only require an amount of about Rs. 1,100 crores for building the second steel melt shop which will enhance the capacity by another 10 lakh tonnes. We are sure that with this V.S.P. would earn excellent profits. No other steel plant in the country was left incomplete as the VSP was. Because of the pressure mounted on the Central Government, it has finally agreed to the proposal and approved the construction of the second steel melt shop in January, 1997. However, they said that the necessary funds have to be produced by the VSP itself from other sources. The VSP has already borrowed Rs. 3,660 crores paying an interest of Rs. 407 crores every year. It is unable to secure funds for its expansion plans. I, therefore, demand that the Central Government should make a provision of Rs. 1,100 crores for the VSP's expansion plans. Otherwise, the Central Government should declare a tax holiday for four years on the amount of Rs. 350 crores which the VSP is paying to the financial institutions. Thank you.

DR. Y. RADHAKRISHNA MURTY (ANDHRA PRADESH): Mr. Vice-Chairman, Sir, I associate myself with the Special mention made by Dr. Prasad.

**Resolution Regarding: Need for Creating A Separate State of Chhatisgarh**

**श्री लखीराम अग्रवाल** (मध्य प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित संकल्प उपस्थित करता हूं:

"इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि—

(i) मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ क्षेत्र, जो सात जिलों अर्थात् रायगढ़, सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, बस्तर (उत्तर और दक्षिण), दुर्ग और राज नन्द गांव से मिलकर बना है, एक बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है;

(ii) छत्तीस गढ़ क्षेत्र में जैसे कोयला, स्वर्ण, हीरे, चूना, पत्थर आदि जैसे प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है। परन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के लगभग 50 वर्षों के पश्चात् भी इन संसाधनों का पूरी तरह दोहन नहीं किया गया है;

(iii) छत्तीस गढ़ क्षेत्र उपेक्षित और अविकसित रहा है और इस क्षेत्र के अधिकांश लोग आदिवासी और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के हैं;

(iv) पिछले अनेक वर्षों से इस क्षेत्र में यात्रियों के लिए कोई भी नई रेल लाइन बिछाई नहीं गई है जिसके परिणामस्वरूप लोगों को अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ता है "यह सभा सरकार से सिफारिश करती है कि इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश में से एक अलग, राज्य अर्थात् छत्तीसगढ़ बनाया जाए और क्षेत्र के लोगों के उत्थान के लिए उसे एक स्वतंत्र राज्य का पूर्ण दर्जा प्रदान किया जाए।"

उपसभाध्यक्ष महोदय, आजादी के बाद और आज से 40 वर्ष पूर्व जब भाषावार प्रांतों या दूसरे प्रांतों की रचना की गई तो उस समय एक विशाल राज्य मध्य प्रदेश राज्य की भी स्थापना की गई। इस राज्य की सीमाओं को अगर हम भौगोलिक दृष्टि से देखें तो एक तरह उसका एक छोर राजस्थान को छूता है, दूसरा बिहार को छूता है और तीसरा आंध्र और उड़ीसा को छूता है। भौगोलिक दृष्टि से इतने बड़े राज्य का निर्माण किया गया जिसके अंदर कोई भावात्मक लगाव नहीं था। लेकिन क्योंकि सारे क्षेत्र की भाषा हिन्दी थी इसलिए इस आधार पर उस राज्य की रचना की गई। छत्तीसगढ़ की जनता ने भी उदारता के साथ किसी पृथकता की भावना को मन में न रखकर बिना विरोध के अपना योगदान दिया। आज इस राज्य को बने लगभग 40 साल हो गए हैं। लेकिन आज का अनुभव यह बताता है कि छत्तीसगढ़ का जो इलाका है वास्तव में उसकी आकांक्षायें, उसका विकास मध्य प्रदेश में पूरा नहीं हो पा रहा है। इसीलिए मैं आज इस प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन करने आया हूं कि मध्य प्रदेश में से यह इलाका अलग काटकर छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया जाए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के अन्तर्गत पूर्व में स्थित छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्र का एक तिहाई भाग है। रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, रायगढ़, दुर्ग, सरगुजा, राजनांदगांव सहित छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 135133 वर्ग किलोमीटर है और इसकी आबादी लगभग दो करोड़ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ असम केरल, तमिलनाडु, त्रिपुरा, नागालैंड, पंजाब, पश्चिमी बंगाल, मणीपुर, मेघालय, सिक्किम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, गोवा, दमन-दीव, दादर नगर हवेली, पांडिचेरी, मिजोरम और लक्षद्वीप से भी बड़ा है। छत्तीसगढ़ का एक जिला बस्तर ही केरल राज्य से भी बड़ा है। लेकिन इसके बावजूद छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश का एक टुकड़ा बनाकर रखा गया है। छत्तीसगढ़ अपने विकास के लिए हजारों किलोमीटर दूर स्थित राजधानी, भोपाल पर निर्भर है। वहां पर छत्तीसगढ़ की कोई आवाज नहीं जाती है। हम कितना ही रोयें, चाहे कितने ही जोर से चिल्लायें लेकिन हमारी आवाज भोपाल तक नहीं पहुंचती है जब कि हम पूरी तरह से राजधानी भोपाल पर निर्भर हैं। इसी प्रकार से इस राज्य का हाई कोर्ट भी छत्तीसगढ़ से हजारों किलोमीटर दूर है जिसके कारण छत्तीसगढ़ के लोगों को न्याय भी महंगा और देर से प्राप्त होता है। जहां जबलपुर में मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है एवं इंदौर और ग्वालियर में हाई कोर्ट की खंडपीठ है वहां छत्तीसगढ़ में दो करोड़ की आबादी होते हुए भी हाई कोर्ट की किसी खंडपीठ की स्थापना नहीं की गयी है। जबकि माननीय जस्टिस जसवंत सिंह आयोग की सिफारिश हाई कोर्ट की खंडपीठ रायपुर में खोलने की रही है। छत्तीसगढ़ को अभी तक हाई कोर्ट की खंडपीठ से वंचित रखा गया है। तात्पर्य यह है कि आजादी के बाद छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य के रूप में विकास कर सकता था, मध्य प्रदेश में रहते हुए आज भी देश का सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र बन कर रह गया है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जातियो, जनजातियों तथा पिछड़े वर्ग के लोगों का बाहुल्य है। छत्तीसगढ़ में 60 प्रतिशत उर्वरक कृषि भूमि है। धान की 10 हजार प्रजातियां छत्तीसगढ़ में उपजायी जाती हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में नदी और नालों का जाल बिछा है। नर्मदा, सोन, महानदी, शिवनाथ, अरपा, इंद्रावती, मांड पेंड्री आदि बड़ी बड़ी नदियां छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती हैं। इसके बावजूद भी जहां देश में 36.4 प्रतिशत खेती की जमीन पर सिंचाई की व्यवस्था है, यह प्रतिशत मध्य प्रदेश में 29.6 प्रतिशत है जबकि छत्तीसगढ़ में मात्र 16.6 प्रतिशत ही है। मध्य प्रदेश की औसत सिंचाई की तुलना में छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले को छोड़ कर शेष जिलों में बस्तर 2.6 प्रतिशत, सरगुजा 4.38 प्रतिशत, रायगढ़ 7.13 प्रतिशत, राजनंद गांव 11.79 प्रतिशत, बिलासपुर 25.8 प्रतिशत, दुर्ग में 28.40 प्रतिशत, सिंचाई होती है। इस प्रकार बस्तर, सरगुजा, रायगढ़ और राजनांद गांव इन चार जिलों में सिंचाई प्रतिशत अत्यंत कम है जबकि छत्तीसगढ़ का सिंचाई प्रतिशत 16.6 प्रतिशत है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं शासन से कहना चाहूंगा। आजादी के बाद हर आदमी द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विकास की बात बहुत की जाती है, नारे भी बहुत लगाए जाते हैं, उसके लिए धन भी खर्च किया जाता है लेकिन इनके विकास की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनकी तरफ शासन का हर आदमी

उदासीन रहता है। इसके कारण आज भी अगर हम अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में जाएं तो चाहे वह बस्तर हो या सरगुजा हो ऐसे लाखों लोग मिल जाएंगे जिन्होंने रेल किस प्रकार की होती है, उसके दर्शन भी नहीं किये हैं। जब तक हम एक अलग राज्य छत्तीसगढ़ जो भावात्मक रूप से भाषा का दृष्ट से एक है, एक अलग राज्य नहीं बनाएंगे, तब तक मैं नहीं समझता कि इन क्षेत्रों की कोई उन्नति या विकास संभव है। उपसभाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से पुराने आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ का 40 प्रतिशत भू-भाग घने जंगलों से अच्छादित था। आबादी के बाद विकास के नाम पर अच्छे जंगल काट डाले गये, उसी अनुपात में जिस छत्तीसगढ़ में 80 से 90 इंच वर्षा होती थी लेकिन जंगलों में अंधाधुंध कटाई के कारण वर्षा काफी कम हो गई है, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता चला गया है। गांव के गांव सूखे की चपेट से उजाड़ होते गये। इसके बावजूद 46 हजार वर्ग किलोमीटर नव क्षेत्र में सागौन, बीजा साल, तेंदू पत्ता, साल, बीज, बांस जलाऊ लकड़ी तथा वनोपज की आय से वनवासियों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाया जा सकता है किंतु यह तभी संभव है जब छत्तीसगढ़ को अलग राज्य का दर्जा प्राप्त हो। अभी तो छत्तीसगढ़ से वनवासी विकास की दौड़ में देश में सब से अधिक पिछड़े हैं। गरीबी और भुखमरी की स्थिति में नर्क में जीने को मजबूर है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ कोयला तथा बिजली उत्पादन के क्षेत्र में आत्म-निर्भर है बल्कि मध्य प्रदेश और अन्य प्रदेशों को भी बिजली सप्लाई करने के लिए अधिकांश प्लांट छत्तीसगढ़ में है। इसके बावजूद भी आज यह क्षेत्र बिजली के लिए तरस रहा है, बिजली की कटौती के कारण परेशान है। इसी संबंध में बिलासपुर, रायगढ़ और सरगुजा जिले में कोयले का भी प्रचुर भंडार है। किंतु उससे होने वाली आय का 10 प्रतिशत भी क्षेत्र के विकास में खर्च नहीं होता। देश में कोयला उत्पादन के संबंध में हाल ही में वर्तमान कोयला राज्य मंत्री श्रीमती कांति सिंह ने बयान दिया था कि सार्वधिक कोयला बिहार राज्य में होता है इसलिए कोल इंडिया का मुख्यालय कलकत्ता से बिहार लाए जाने की आवश्यकता बतायी है। जबकि मेरी जानकारी में सबसे अधिक कोयले का उत्पादन वैसे मध्य प्रदेश राज्य में होता है। मेरी जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में साढ़े 9 करोड़ टन, बिहार में 6 करोड़ टन और पश्चिमी बंगाल में 3 करोड़ टन कोयला उत्पादित होता है। इसमें भी मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर सम्भाग में सबसे अधिक कोयला उत्पन्न होता है जिससे राज्य सरकार को सैकड़ों करोड़ रायल्टी में प्राप्त होता है। लेकिन रायल्टी की 10 प्रतिशत रकम भी इस इलाके पर खर्च नहीं की जाती है। कोयले की नयी नयी खदानें खुलती है। कोयले का सारे देश में विकास के लिए, ऊर्जा के लिए दोहन किया जाता है, उसको वहां से ले जाया जाता है लेकिन उस क्षेत्र के लोगों को जिनकी जमीनें खत्म होती है जो अपनी खेती से वंचित होते है जो अपने घर-मकानों से वंचित होते है उनके विकास के लिए उनकी बसावट के लिए शिक्षा के लिए दस प्रतिशत आमदनी का भी खर्च नहीं होता है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ एक पिछड़े हुए राज्य के रूप में स्थापित होता जा रहा है। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में कीमती खनिजों का भी भंडार है। खनिज के मामले में यह क्षेत्र मैं समझता हूं कि अधिकांश देश के भागों से अग्रणी है। टीन, हीरा, डोलोमाइट, लाईम स्टोन, क्वार्टजाइट, एलेक्जेड्राइट, कोरंडम, लोह अयस्क, कोयला, बाक्साइट- इतने अयस्कों से भरा हुआ है। लेकिन उसके बाद भी आज छत्तीसगढ़ गरीबी में जीने को मजबूर है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा अन्य करों के माध्यम से केन्द्र शासन को प्रति वर्ष छत्तीसगढ़ से भारी आय होती है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने पर इस राज्य के आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर होने में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है।

महोदय, इसी प्रकार छत्तीसगढ़ से स्वतंत्रता के बाद यात्रियों के लिए, नागरिकों के लिए किसी नयी रेल लाइन का रेलवे की तरफ से विकास कभी नहीं किया जाता। अगर रेलवे के कुछ कार्य होते है या नयी रेल लाइनें डाली जाती है तो वे सिर्फ भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर या जो मध्य प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा है उन सारी जगहों में आती है। छत्तीसगढ़ में दोहन के नाम पर, खनिज पदार्थ को दोहन के नाम पर कोयला दोहन के नाम पर कुछ रेलवे लाइनें डाली गयी होंगी। लेकिन जब तक नागरिकों की सुविधा के लिए, आदिवासी क्षेत्रों में हम रेल लाइनें नहीं निकालेंगे, सड़के नहीं निकालेंगे तो केवल नारे लगा देने से उनका विकास नहीं होगा। एक इंच भी, एक किलोमीटर भी इनकी सहूलियत के लिए, विकास के लिए रेल लाइनें नहीं डाली गयी है। इसके कारण खास करके मैं आपको कहना चाहता हूं और छत्तीसगढ़ में खास करके रेलवे जोन के मामले को लेकर एक अजीब आक्रोश है,एक अजीब बैचेनी है। लेकिन छत्तीसगढ़ की कोई न्यायपूर्ण मांग यह शासन सुनता नहीं है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में जो रेल मंडल था-बिलासपुर डिवीजन—देश के सभी मंडलों से सर्वाधिक आय देने वाला है। इस क्षेत्र की जनता की लम्बे समय से बिलासपुर को रेलवे जोन का दर्जा देने की मांग रही है। उसके लिए समय समय पर आंदोलन करके अपनी

आज भी उठाती रही है जबकि भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री नरसिंह राव ने एक बार आश्वासन भी दिया था कि जब भी देश में दसवां रेल जोन बनेगा तो बिलासपुर के दावे पर प्राथमिकता के आधार पर विचार होगा। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि देश में 6 नये जोन बनाकर देश में रेलवे जोनों की संख्या 15 हो गयी लेकिन छत्तीसगढ़ का यह क्षेत्र अपने भाग्य पर आज भी रो रहा है। बार बार छत्तीसगढ़ के सभी राजनीतिक दलों के लोग, सभी सांसद सभी प्रतिनिधि सभी विधायक इस संबंध में रेल मंत्री और सारे प्रधान मंत्रियों से मिलकर अपने हक के लिए आवेदन करते है, प्रार्थना करते है लेकिन मुझे दुख है कि इस बात का कि कोरे आश्वासन के सिवाय छत्तीसगढ़ के साथ न्याय नहीं होता है। छत्तीसगढ़ की मांगों के साथ कोई न्याय नहीं किया जाता है। इसी प्रकार से सभी क्षेत्रों की तुलना में आजादी के बाद छत्तीसगढ़ क्षेत्र की पूरी तरह उपेक्षा की गयी। इन सब के कारण छत्तीसगढ़ की करोड़ो जनता छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण चाहती है। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में आत्म-निर्भर राज्य निर्माण के सभी साधन मौजूद है। अच्छी उपजाऊ कृषि भूमि है, सिंचाई हेतु पर्याप्त मात्रा में नदियां एवं जल उपलब्ध है। कीमती लकड़ी के घने जंगल है। बहुमूल्य खनिज पदार्थ बड़ी मात्रा में यहां उपलब्ध है। श्रम शक्ति भी यहां पर पर्याप्त मात्रा में है बल्कि श्रम शक्ति के संबंध में रोजगार के अभाव में प्रति वर्ष लाखों लोग अन्य राज्यों में रोजगार की खोज में जीविका चलाने के लिए पलायन करते है। उनको रोजगार उपलब्ध नहीं होता मुझे पूरा विश्वास है छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण से इस क्षेत्र का तेज विकास संभव होकर देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। महोदय, इस प्रकार सभी क्षेत्रों में आजादी के बाद छत्तीसगढ़ क्षेत्र की पूर्णतः उपेक्षा की गई है। इन सब के कारण छत्तीसगढ़ की करोड़ो जनता छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण चाहती है। इसी संबंध में सभी राजनीतिक दलों ने मिल कर मध्य प्रदेश की विधान सभा में सर्वसम्मति से छत्तीसगढ़ को अलग राज्य का दर्जा दिया जाए छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण किया जाए इसका एक प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से स्वीकार कर केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है। इससे यह बात स्पष्ट है कि देश में छोटे राज्यों के निर्माण से विकास की गति तेज हो सकेगी। इसलिए मेरा सदन से पुरजोर अनुरोध है कि छत्तीसगढ़ अगर राज्य निर्माण का निर्णय कर इस क्षेत्र की दबी कुचली जनता के साथ न्याय करे।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कह करके अपने विचार को समाप्त करूंगा। मेरा कहना है कि जिस प्रकार से देश में छोटे राज्यों के लिए अलग-अलग क्षेत्रों में मांग उठती है और इन बहुत से क्षेत्रों में हिंसा के द्वारा, हिंसात्मक आंदोलन के द्वारा उस मांग की पूर्ति में आंदोलन करते है, मैं कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ का क्षेत्र ऐसा है जहां की जनता शांतिप्रिया है। उसके धैर्य की परीक्षा न लें। वह अपने हक के लिए चाहे वह रेलवे जोन का मामला हो, चाहे अन्य मामले हों, चाहे वह हाई कोर्ट की खंडपीठ का मामला हो, अनेक मामलों में उसकी उपेक्षा होती रही है। इसलिए भारत सरकार को वास्तव में न्याय के आधार पर विकास को एक मानक मान कर, एक इकाई मान कर छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण करना चाहिए।

महोदय, मैं एक बात और आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि जहां मध्य प्रदेश जो बना है उसके क्षेत्रों में इतने छोटे जिले है कि जहां विधान सभा की दो सीटें है। हमारे छत्तीसगढ़ में पहले जैसे मैंने बताया कि बस्तर का इतना बड़ा क्षेत्रफल है कि अकेले एक जिला केरल राज्य से बड़ा है और रायपुर, बिलासपुर 20-20 विधान सभा क्षेत्र के जिले है। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने कमीशन बनाया। उस कमीशन ने जिलों को प्रशासन को जनता के नजदीक पहुंचाने के लिए एक रिपोर्ट दी और 16 नए जिलों के निर्माण का सुझाव दिया। आज तो हमको जिला मुख्यालय में जाने के लिए दो सौ, तीन सौ किलोमीटर जाना पड़ता है। लेकिन हमारी मध्य प्रदेश सरकार उन जिलों का भी उस कमीशन की रिपोर्ट मान कर छत्तीसगढ़ के साथ न्याय नहीं कर रही है। इसी प्रकार से मैं कहना चाहता हूं कि अभी देवभोग में छत्तीसगढ़ के इलाके में बहुत बड़े अलेग्जेंडराइट की खदान निकली है, हीरे की खदान निकली है। उससे एक सर्वे की मुताबिक उस एक खादन से दस हजार करोड़ रुपये के हीरे निकलने की संभावना है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है, उसके दोहन की तरफ तो मध्य प्रदेश सरकार की नज़र लगी हुई है और उसके लिए ग्लोबल टेंडर के नाम से अन्तर्राष्ट्रीय कंपनियों को बुला करके उनको वह सारा इलाका सौपने की तैयारी हो रही है। जबकि वहां के क्षेत्र की जनता की मांग है कि वास्तव में हीरे के दोहन का कार्य हमारे देश की कोई कंपनी को दिया जाए और उसके विकास के लिए उस क्षेत्र पर खर्च किया जाए। वह ऐसा क्षेत्र है जो अनुसूचित जाति बहुत एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उस हीरे पर तो नज़र है लेकिन उसके ग्लोबल टेंडर के माध्यम से दोहन पर नज़र है। परन्तु आज तक इस देश में सैकड़ों वर्षों तक हीरे की खदान का काम, हीरे की कटाई का काम इस देश के लोग करते रहे है। इसके संबंध म एक राष्ट्रीय कंपनी भी है, वह भी उत्सुक है, लेकिन हीरे का काम वहां की सरकार अंतर्राष्ट्रीय

कंपनी को ग्लोबल टेण्डर के माध्यम से देने पर उतारू है। इसी प्रकार के सभी क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ के साथ अन्याय हो रहा है, न्याय नहीं हो रहा है। इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता आज चिंतित है, उससे आक्रोश है। यह सारी स्थिति आज वहां इतना बड़ा भूभाग है, जिसकी आबादी दो करोड़ है और इसमें अधिकांश आबादी, जैसा मैंने कहा, अनुसूचित जनजाति, आदिवासी लोगों को अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लोगों की है। जब तक हम उस इलाके को विकास का अवसर नहीं देंगे तब तक वहां पर निश्चित रुप से आक्रोश फैलेगा और अन्य राज्यों से उदाहरण लेकर वहां पर किसी प्रकार के हिंसात्मक आंदोलन हो जाने की संभावना है। वास्तव में जहां तोड़फोड़ हो, हिंसा हो, जहां गलत गतिविधियां हों, उनकी मांग पर विचार करने के लिए सरकार का ध्यान जाता है, लेकिन यहां की जनता प्रजातांत्रिक माध्यम से, लोकतांत्रिक माध्यम से, शांतिपूर्ण ढंग से अपने राज्य के लिए प्रयासरत है, उस मांग की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैंने जैसा पहले भी कहा है कि मध्य प्रदेश विधानसभा में भी सभी राजनैतिक दलों ने मिलकर छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में सर्वसम्मत संकल्प पारित किया है। अब मेरी समझ में नहीं आता कि छत्तीसगढ़ राज्य बनाने में भारत सरकार को कौनसी अड़चन है। मैं समझता हूं कि यह राज्य अपने में पूर्णतया निर्भर होगा।

अंत में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं सारे सदन से विनम्र अनुरोध करुंगा कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र के साथ न्याय करने के लिए मेरे इस छत्तीसगढ़ अलग राज्य के प्रस्ताव का समर्थन करके सहयोग देने का कष्ट करें। धन्यवाद।

The question was proposed.

**श्री दिलीप सिंह जूदेव: (मध्य प्रदेश) उपसभाध्यक्ष** जी, मैं अपने आपको श्री लक्खीराम अग्रवाल जी के इस संकल्प से संबद्ध करता हूं।

**उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि):** यह तो पूरी चर्चा होगी। आप भी अपना नाम दे दीजिए। श्री जॉन एफ॰ फर्नांडिस।

SHRI JOHN F. FERNANDES (GOA): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to speak on this Resolution. I don't say that I want to support the Resolution because I don't want to get into the controversy of other States. I belong to Goa which is a State. Sir, I took interest to speak on this issue because the State of Goa is the latest state added to the Union of India. Goa got Statehood only in 1987. We know how we fought politically and otherwise for it. We had to go to streets to get the Statehood. Goa was liberated in 1961 from the colonial rule of Portuguese. For 25 years goa remained a Union Territory. We held agitations to ask that our own language, Konkani, should be the official language and it should be included in the VIIth Schedule of the Constitution. We owe it to the Nehru family. Panditji promised Statehood to Goa in 1962. Indiraji gave us opinion poll in 1968. The late Rajiv Gandhi gave us Statehood in 1986. Therefore, I know what trauma the people of goa have undergone to attain the Statehood. That is why I am participating in the debate.

I think it is the aspiration of the people of Madhya Pradesh. Areawise it is the largest State in the country. In the 50th year of our Independence we have to see whether we can rule our country on sectarian or regional basis, on linguistic basis, on caste basis or on the basis of religion and region. therefore, I think it is high time we pondered over and saw to it that some mechanism was involved and States were created without oblique and vertical lines. If you see the map of USA, they don't have criss-cross country lines. They have just straight lines. It will avoid tension that we are having among various States in our country.

We see this tension, whenever the issue of Cauvery is raised in the House, between Tamil Nadu and Karnataka, Tamil Nadu and Andhra Pradesh and Andhra Pradesh and Karnataka. For that matter, even Shri Narayanasamy joins the Union Territory of Pondicherry to that controversy. These are our natural resources. Because of this parochial attitude, different States are at war with each other. These matters are being litigated in courts of law. We have seen how on the second of October, people who are agitating peacefully for a separate State of Uttarakhand were molested and terrorised by the State police. It was nothing but an open case of State terrorism. The then Prime Minister, Shri Deve Gowda had given an assurance in Lucknow that immediately after elections in the State

and the installation of a Government in that State, the State of Uttarakhand would be created. But Mr. Deve Gowda relinquished office and we have one more new Prime Minister, Mr. Gujaral, of the same United Front Government -- of course, we are supporting them from outside --but no decision has been taken. This morning I raised the issue on the decision of not appointing Governors to the State including the State of Goa. We have the Jharkhand problem in Bihar. Again this is one of the largest State but the poorest State. Like Chhattisgarh, this State is also very rich in natural resources and the people of that State who are tribals and backward people are being exploited either by the machinations of the State Government or by the so-called multinational companies. Mr. Agarwal has rightly mentioned how natural resources are exploited by multinational companies and how this State, in the name of liberalisation has floated global tenders. We have seen this happen in our own State, the State of Goa. Here, four or five Portuguese families were favoured by the colonial regime of the Portuguese and these were the people who cornered the wealth of the State. After the liberation of Goa, these same people are ruling the State. The Government of India is protecting these four or five families who were pro-Portuguese and who used to abuse Mahatma Gandhi and Pandit Nehru. Today these People are being protected. Goa is the only State where the mining industry is in private hands. This is what I want to say, how multinational companies buy support, how industrial houses buy support of politicians by contributing towards their election funds. The ruling party gets about rupees five lakhs, the second paprty gets about rupees three lakhs and the third party gets about rupees two lakhs.These are the people who exploit our resources. I have raised this issue often in this House. The former Prime Minister, Shri P.V. Narasimha Rao, mentioned from the ramparts of the Red Fort that natural resources of the country would not be allowed to be exploited. Mineral ore from my State is exported to Japan, Aurtralia and other countries. We don't create any value added product. But this industry has been given the concession which is given to industries which export and earn dollars for the country. They have been exporting this ore for more than 50 years. Since, 1991, the Government of India has exempted them from income tax to the extent of Rs. 150 crores. This is pocket money for them. What have they put back into the system? Nothing. What have they done to the State of Goa? They have destroyed it. The open cast iron mining has polluted the air. The rivers are being polluted. The seas are being polluted. Paddy fields are being polluted. Drinking water wells are being polluted and the Government is silent. I feel, that is the reason why Mr. Agarwal and the people of that area feel the pinch. I am told that the area is populated by tribal people. The area consists of seven districts of Madhya Pradesh. It is basically populated by the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the other Backward Castes. This community is being exploited. What is the main source of their income? I was talking to tribal leader and he told me that the main source of their income was from collecting tendu leaves and giving them to middle-men which fetched them Rs. 5 or Rs. 6 or Rs.7 in return. Most of the money is cornered by middlemen. This is how we exploit our own people. This is how we exploit the Dalits in the country, during the Golden Jubilee or fifteith year of India's Independence and the people will have no occasion to stand up to fight and ask for their rights. Sir, I spoke about Bihar, the resources they have. I do not want to quote about the scams going on there. Then I again I will have shouts and countershouts. But I would like to say one thing. In the year 1995-96, we visited the Haldia Refinery. I was told they had a backlow of bitumen, the tar which is used for making roads and the factory could not have optimum production in 1995-96 because Rs. 200 crores worth of bitumen was not lifted by the State of Bihar. They have claimed

that amount. They have not used the bitumen. The roads in Bihar are in a very bad condition. Since there was a backlog, the production had to be slowed down. So the country has suffered a lot. Rs. 200 crores has been siphoned off in the name of constructing roads. But nothing has been done. On paper you will see there are roads. But in reality bitumen, Rs. 200 crores worth of bitumen was not lifted. So this is how the politicians and bureaucrats are plundering the State. Sir, I do not know what the opinion is in the State of Madhya Pradesh, vis-a-vis Chattisgarh. I feel we need not have 25 or 30 States just because United States of America has 50 States plus one or two which were annexed or added later on. But it would be most appropriate for us that we divide this country. We can at least debate now. We should divide the country into smaller regions and have a better administration. I would suggest that we take a ruler and divide the map like what U.S. has done to its own country. So, that will solve our problem. We cannot divide our people on the basis of caste, religion and language. For example, we fought for Konkani in my State and we have only 12 lakh Konkani-speaking people in may State. But the Konkani-speaking region extends right from the Konkan region in the north of Maharashtra and it goes up to Cochin. There are about 50 lakhs of people who speak Konkani. But if we demand a State on the basis of language, then culturally we will not mix with each other. So what I suggest is, we have to ponder now and think in order to administer our country in a better manner and manage it properly. We have to divide the whole country into smaller regions and this demand is a parochial demand. They have a cause to agitate. I do not think we have to wait for the people to revolt. We do not have to wait for the people to rise in arms and create chaotic conditions in the country. We know what we have done in Bihar. Whenever a political party is in a dire need of some suppurt, we blackmail them because the very same Laloo Prasad Yadav, the then Chief Minister, said that "Jharkhand will be created on my dead body." The same Chief Minister had to admit. Therfore, I say that there is a compulsion. There days we have seen that politically there are hung Assemblies and that is a hung Parliament. In my own State we have no majority. There are kitchen cabinets of industrialists ruling the State. It is happening because you don't have a majority. You have to go and buy MLAs. To buy the MLAs you have to take money from the industrialists. When you take money from industrialists, you have to form a kitchen cabinet and allow the wives and sons to preside over it. That is what I have raised this morning also. When the CBI was asked to be would up from my State it was because an appeal was pending in the High Court about a case where certain politicians were implicated. So they do not want the CBI to be there in that State. Anyway, I do not want to go into the details. I have raised that matter. So what I am trying to say is, when there is political instability, there is political blackmail and the best example is what happened in Bihar last week.

So, I whould suggest and request the Home Minister that we have to throw up this debate whether India can be ruled as it is being ruled now or whether we want to head for a chaos or whether we want to head for indiscipline. Or we have to equitably distribute our resources. My hon. colleague, Shri Agarwal, has mentioned that we have resources in that region. So, it is for the country to exploit these resources. Instead of doing it, we are again permitting the East India Company to come back here.

So, Sir, all these things can be done if we have a proper management and that proper management can be there only when we have a proper State which is properly aligned. So, with these few submissions, I feel the Government would request Agarwalji to withdraw his Resolution. I do not know what the mind of the Home Minister is. ...*(Interruptions)*... I do not want to go into the controversies of other States. Thank you, Sir.

SHRI S. RAMACHANDRAN PILLAI (Kerala): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to request the Mover of the Resolution to withdraw his Resolution. I congratulate him for giving us an opportunity to discuss one of the important issues that confront our country. I do agree that Chhattisgarh is a backward region. I also admit that this area has rich natural resources and its soil is very fertile. Many minerals are available there.

Water is also available there. The people are very resourceful people. I do also admit the fact that this particular area needs immediate development. But, I do not think, Sir, that the creation of a new State is a panacea for all the problems that they are facing. On the other hand, I believe that the creation of small States will only aggravate the problems that we have in India. Yesterday with rapt attention I heard my learned friend, Vayalar Ravi. He was arguing for smaller States and his complaint was that in India. We have many big States, therefore, let us appoint a new Commission to go into this question, and, let us think of dividing this country. I think this is a very, very dangerous proposition. If he extends his logic to the vast India, of course, many are complaining that India is a subcontinent, it is a vast country; many of the extremist elements in the country are also complaining that India can afford to be divided into many countries. so this proposition of smaller States is a very dangerous proposition. Look at the experience of some States here and find out whether the formation of small States has solved all the problems. Of course, my hon. friend referred to Bihar. Bihar is a State which is very, very rich in natural resources. It has a very fertile land which is watered by the big rivers in our country. There are very rich minerals in that soil. The people are most resourceful there. But still, that part of the nation has remained backward. Look at the smaller States in the North-East. The creation of small States has not solved the problem of backwardness in that area. So, this is not a panacea for finding a solution to the problem of backwardness and the problem of uneven development in the country.

*Sir, this unevenness in development* is existing. It is a fact. Why is this existing? It is because of various reasons. The first is, India is a vast country of sub-continental magnitude with regard to climate, soil, minerals, forest, water resources, linguistic, demographic and also socio-economic characteristics. A lot of variations are there. Of course, it is a fact. If the strategy of development is tuned in such a manner to make use of all these resources in an equitable manner, and find a solution to the problem of unevenness, definitely we could have made great achievements in finding solutions to the problem of backwardness, to the problem of unevenness in development. Apart from the vastness of the country, the colonial past also contributed to the accentuation of the unevenness in this country. The British colonialists did not have any interest in the development of India. They were only interested about their exploitation. So, they tried to confine the development only to certain parts—some ports and some railway junctions in India. When we got our independence in 1947, if we had adopted a new strategy of development, definitely we could have solved, we could have found a solution to, many of the problems that we are facing now. After our independence, the strategy we adopted to find a solution to these problems is a strategy actually not suitable for finding a solution. They adopted the capitalist path of development. This capitalist path of development only accentuates the unevenness in growth. If you look at the whole period of fifty years of our independence, I would like to divide it into two periods — the first period from 1947 to 1991 and the second period from 1991 to the present time. Of course, the period from 1947 to 1991 was a period of hesitation. That was a period of dichotomy. They said many things but they have not implemented their words. At that time, the Government said that one of the aims was to develop India and to find a

solution to the problem of unevenness. During that period we created many institutions — the Central Planning System, the Public Sector, the licensing policies, the Finance Commission and also a method of distribution of institutional credit. All these institutions, if properly used, could have found a solution to the problem of this unevenness, could have equitably made use of all the resources and would have taken steps for developing the backward parts of India.

But they haven't done that. And our assessment of development is also not based on the interests of the people. We speak about increase in agricultural production. Of course, we increased our agricultural production, but what about unemployment, what about poverty, what about backwardness, what about unevenness in growth? We are not assessing all these aspects. So, actually the aim of development is also not that tuned to find solutions to all these problems.

Now, Sir, since 1991 all these institutions have been given up. We are now winding up the public sector. What is the argument that they give? They say, "Oh! public sector is a waste. Government is a waste. So, let us hand over the public sector to the private sector." But the public sector, if properly used, can solve many of the problems. The public sector is serving the interests of the public — the public education system, the public health system, the public transport system and many other public sector undertakings. It can help the poorer sections. If can find solutions to the problem of under-development. But now we are giving up this public sector! We have given up planning. Now, only some indications are given. We are giving up all that was available in the past. We are giving up the licensing system. So, where are we going, Sir? All this will definitely accentuate the unevenness in development. It will make the backward country more backward. It will make the affluent sections still more developed. So, actually this accentuation will increase.

The main issue is not the creation of a State; the main issue is the strategy of development — whether the strategy is going to find solutions to the problems of poverty, unemployment, unevenness in growth and facilitate the overall development of the country. That is the prime issue. If we fail there, whatever institutional set-up we have created cannot find solutions to these problems. So, this is the most important issue. Let us try to concentrate on this issue. Let us try to debate on this issue and let us come to some correct conclusions to find solutions to these problems.

Sir, we speak about creating newer and newer States. We speak about smaller and smaller States. Why are people who advocate such things not speaking about democratic decentralisation? Why don't we think about giving more autonomy to the States, more power to the States? And let the States give more power to the districts; let the districts give more power to blocks and panchayats. We have enacted a constitutional amendment directing the States to organise periodical elections and hand over power to the panchayat institutions. What is the record? Many of the champions, when they were in power in some States, did not order periodical elections. They did not take measures to give powers to the panchayats. They did not take measures to give powers to the zilla parishads.

Therefore, first, let us give more powers to the people. Let us try to involve them in evolving the planning process. Let us try to involve them in the execution of these plans. Then, their hopes, their aspirations, their anguish, their anger, can be reflected and we can find solutions to their problems. Therefore, let us first bring about this democratic decentralisation.

The other issue connected with this, which I would like to raise here, is the issue of national integration. I believe, India is a multi-national multi-lingual and multi-ethnic State.

SHRI RAGHAVJI (MADHYA PRADESH): Not multi-national.

SHRI S. RAMACHANDRAN PILLAI: It may be your view. Some of my friends believe, India is a single nation-state.

SHRI RAGHAVJI: Yes; we do believe.

SHRI S. RAMACHANDRAN PILLAI: We have differences on this issue. Whatever be our differences, one thing is sure. There are fissiparous forces raising their heads. They are trying to divide India. They are trying to divide the people. How do we find a solution to this problem?

Sir, India's unity emerged not because of the might of the sword. This sort of unity emerged through the cultural movements, through the interaction among the people. There were many States in the past. In the past, there was no India as we have, today. There were many small, small States, fighting with each other. But the concept of India emerged in the past. How has this concept emerged? Not because of the might of the sword. It was, as I said, because of the cultural movements, because of the voluntary interaction among the people, that this sort of unity slowly emerged in the past.

Now, how do we strengthen this? Let us allow the people to live together. Let us allow them to interract. Let there be economic interaction, social interaction, cultural interaction. That way, we should try to further integrate this multi-ethnic State.

Of course, there are many views on this particular issue. Some of them are trying to conserve the differences, while some others are trying to force assimilation. I do not stand for conservation. That would only lead to the division of India. Nor do I agree with forceful assimilation. I stand for voluntary integration.

If you divide and further divide, it would only aggravate the problem we already face in India. Of course, it is a fact that because of this unevenness in growth, because of the exploitation inherent in the present system, the exploited, the backward sections, are voicing their difficulties; they are coming forward. They are more articulate now: they have now become more assertive. That is a good sign. They are raising their voices and they are coming forward, fighting against their neglect and exploitation. So we should welcome that and we should welcome their awareness, this new consciousness. And we should try to channelise this consciousness into the democratic mainstream.

Sir, some people are interested in diverting their new awareness into divisive channels. Of course, definitely, it is natural. From among them a new intelligentsia is coming up, a new propertied class is emerging. Some among them want to hold on to power, but some among them want to exploit these very same people. So, in order to do that, they are raising the slogan of smaller States. That is one.

There is another factor also. For some of the bigger sharks, who have some vested interests in these areas, if a smaller State is formed it will be very easy for them to control the entire State. Just see wherefrom we hear these slogans, where voices are being raised for smaller States. It is from the most fertile areas where we have more natural resources, mineral resources. So, some of the big business houses are interested in smaller States-because then they can exert pressure, control those States and exploit those parts in a much greater way than what they are doing now. And some of these sections are finding that it is a shortcut to attain power.

Somebody here has referred to some of our friends who are raising this issue in some parts of the country. What are they saying? They are saying that a bribe given to a politician is a donation. Now this sort of a thing is going on. Some of them are finding that this is a shortcut to gain power. Not only this.

Some of the foreigners are also interested, some of the multinationals are also interested, in smaller States. If smaller States are carved out of bigger States, it will be very easy for them to control those areas. So, when we raise such slogans, we should consider all these aspects—what the implications are and what the repercussions of having smaller States would be.

So, instead of having smaller States for solving the problem of underdevelopment, let us discuss about a new strategy to find solutions to this problem. Let us try to give more power to the democratic institutions.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Kindly conclude.

SHRI S. RAMACHANDRAN PILLAI: I am concluding. Therefore, try to decentralise.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Mr. pillai, please conclude.

SHRI S. RAMACHANDRAN PILLAI: I am concluding, Sir.

So, what I have been trying to impress upon my learned friend is, creation of new States is not the solution to the problem of underdevelopment of a particular area. It will only aggravate the problems, it will only create new problems. So, I request him to withdraw this Resolution—and I congratulate him for giving us an opportunity to discuss some of the important problems that we are facing in India.

Thank you, Sir.

**श्री राघवजीः** उपसभाध्यक्ष जी, मैं माननीय श्री लखी-राम अग्रवाल जी ने जो छत्तीसगढ़ पृथक राज्य बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ है।

महोदय, जब मध्य प्रदेश बना, तब एक सोच थी और सोच यह थी कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने पूरे देश का दौरा किया, सबसे विचार लिए, हर राज्य के बनाने के लिए जो तर्क थे, उन पर विचार किया और इसके बाद राज्यों का निर्माण किया, गठन किया लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग का यह कहना था कि जो कुछ बच गया है, वह मध्य प्रदेश है। सारे राज्य बन गए और इन राज्यों से जो बचा, वह मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की कोई सांस्कृतिक इकाई नहीं है, कोई साहित्यिक इकाई नहीं है, कोई भाषाई इकाई नहीं है, कोई भौगोलिक इकाई नहीं है, लेकिन इसके बाद भी मध्य प्रदेश राज्य का निर्माण किया गया और किया इसलिए गया कि जो बचा हुआ है, जो सारे राज्यों के अपने-अपने क्लेम हैं, दावे हैं, उनको देने के बाद जो बचा है, उसको मध्य प्रदेश का नाम देकर एक राज्य बना दो। आज मध्य प्रदेश भौगौलिक दृष्टि से हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है। लेकिन सबसे बड़ा प्रदेश होने के बावजूद भी वह पिछड़ा हुआ है। यह बात नहीं है कि छत्तीसगढ़ में रहने वाले लोग ही छत्तीसगढ़ की मांग कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के शेष भाग में रहने वाले लोग भी छत्तीसगढ़ राज्य का समर्थन कर रहे हैं। मैं अपने मित्र फर्नांडिस साहब को बता देना चाहता हूं, जो उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के बाकी के लोग क्या सोचेंगे, तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के बाकी के लोग भी छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के पक्ष में हैं। मैं स्वयं छत्तीसगढ़ में नहीं रहता हूं, मैं मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का रहने वाला हूं, लेकिन मैं भी छत्तीसगढ़ राज्य का समर्थक हूं। जब मध्य प्रदेश की विधान सभा में यह प्रस्ताव आया तो यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ। सभी क्षेत्र के लोग उसमें थे, सभी राजनीतिक दलों के लोग थे, सभी विचारधाराओं के लोग थे। शायद ऐसा उदाहरण हिन्दुस्तान के अंदर बहुत कम मिलेगा कि एक राज्य की सरकार ने अपनी विधान सभा में सर्व सम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया कि इसी प्रदेश में से एक नया प्रदेश छत्तीसगढ़ बनना चाहिए। यह छोटी बात नहीं है। मैं अपने मित्र पिल्ले साहब को बता देना चाहता हूं कि यह कोई जरूरी नहीं है वह नॉन वॉयबल बन जाए और बाद में तकलीफ पैदा करें। आपने छोटे-छोटे राज्य बनाने का विरोध किया है और उसके लिए आपने उदाहरण दिया है नागालैंड का, अरुणाचल प्रदेश का, मिज़ोरम का, त्रिपुरा का कि ये छोटे-छोटे राज्य हैं, यह तरक्की नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए छोटे राज्य बनाना कोई विकल्प नहीं है, हल नहीं है। मैं माननीय पिल्ले साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि आप पंजाब की ओर ध्यान दीजिए, हरियाणा की ओर ध्यान दीजिए। आज पंजाब और हरियाणा इस देश के सबसे समृद्ध राज्यों में से हैं। क्या वे छोटे राज्य नहीं हैं? क्या वे बड़े राज्य को काटकर छोटे राज्य नहीं बने हैं? एक बड़ा राज्य था जिसमें पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश भी शामिल था और जब उसके हिस्से होकर राज्य बने तो उसमें से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ बना, चार हिस्से हो गए। अलग-अलग होने से आज

पंजाब और हरियाणा की यह स्थिति है कि पंजाब और हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। आज यदि किसी प्रदेश के लोग सबसे समृद्ध हैं तो वह पंजाब और हरियाणा के माने जाते हैं। आज अगर कहीं कृषि विकसित है तो वह पंजाब और हरियाणा में है। हिन्दुस्तान में सबसे अधिक गेहूं कहीं पैदा होता है तो वह पंजाब और हरियाणा में पैदा होता है। जहां कभी चावल पैदा नहीं होता था, वह आज इतना चावल पैदा कर रहे हैं कि पूरे देश को पंजाब और हरियाणा चावल खिलाने की स्थिति में आ गए हैं। पंजाब के चने पूरे देश के अन्दर खाये जाते हैं, वह पूरे देश के अंदर इसकी आपूर्ति कर रहे हैं। केवल कृषि के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि उद्योग धंधों में भी आज पंजाब और हरियाणा सबसे आगे हैं। छोटे-छोटे उद्योगों ने वहां विकास किया है। कोई वहां पर मल्टी नेशनल नहीं आए, कोई वहां पर निहित स्वार्थी लोग भी नहीं आए, जैसा कि पिल्ले साहब कह रहे थे कि कभी-कभी छोटे राज्यों का समर्थन करने वाले वे लोग होते हैं जो कि निहित स्वार्थ रखते हैं या वहां बहुराष्ट्रीय कम्पनियां अपना स्वार्थ ढूंढती हैं। पंजाब और हरियाणा में ऐसा कोई स्वार्थ नहीं था और इसलिए आज वे सबसे समृद्ध राज्य हैं और छत्तीसगढ़ के बारे में भी मैं बता देना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ की मांग के पीछे कोई राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का उद्देश्य नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य की मांग के पीछे कोई निहित स्वार्थ वाले लोग नहीं हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की मांग के पीछे कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी अपना खेल नहीं खेल रही है, इस बात से आप आश्वस्त हो जाइए। छत्तीसगढ़ राज्य की मांग न केवल छत्तीसगढ़ की धरती पर रहने वाले हर व्यक्ति की है बल्कि मध्य प्रदेश में रहने वाला हर व्यक्ति उस मांग का समर्थन करता है। यह धरती से जुड़ी हुई मांग है और उसका कारण है। छत्तीसगढ़ बनेगा तो कोई छोटा प्रदेश नहीं बनेगा। छत्तीसगढ़ बनेगा तो पिल्ले साहब आप जिस राज्य से आए हैं उपसभाध्यक्ष महोदय, केरल राज्य से, उससे भी बड़ा प्रदेश बनेगा। जितना ऐरिया आपके केरल राज्य का है, उससे अधिक भूखंड में तो बस्तर एक जिला बसा हुआ है। इसलिए छत्तीसगढ़ कोई छोटा राज्य नहीं बनेगा। इसमें आज भी 11 लोकसभा की सीटें हैं और 90 विधानसभा की सीटें हैं। महोदय, आपको पता नहीं है कि मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है। मध्य प्रदेश में मंदसौर से बस्तर तक जाएंगे तो एक हजार किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है और 5 दिन लगते हैं। अगर मंदसौर से कोटा (बस्तर) तक जाना है तो 5 दिन लगेंगे। पूरे देश के भ्रमण में जितना समय लगता है, उतना मध्य प्रदेश के भ्रमण में ही लग जाता है। यह मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति है। इसका दुष्परिणाम यह हुआ है कि यहां पर प्रशासन ठीक ढंग से काम नहीं कर पाता। यहां चुस्त प्रशासन नहीं है। लालफीताशाही है। निर्णय जल्दी नहीं होते हैं और जब निर्णय नहीं होंगे, लालफीताशाही होगी, चुस्त प्रशासन नहीं होगा तो विकास का कार्य तो ठप्प होना ही है।

महोदय, आज छत्तीसगढ़ का यह जो क्षेत्र है, उसकी स्थिति उड़ीसा से अच्छी नहीं है। भुखमरी की वजह से मौतें अगर उड़ीसा के कालाहांडी क्षेत्र में होती हैं तो छत्तीसगढ़ के इलाकों में भी होती रहती हैं। अकाल अगर उड़ीसा के क्षेत्रों में पड़ता है तो मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ इलाका भी बार-बार अकाल की चपेट में आता है और सरकार इससे ठीक नहीं निपट पाती क्योंकि वहां कार्य संचालन भोपाल से होता है। वह एक बड़ा प्रदेश है। वहां का जो कृषि मंत्री है, जो सिंचाई मंत्री है, वह इतने बड़े प्रदेश की देखभाल ठीक प्रकार से नहीं कर पाता। यह कठिनाई है और इसीलिए शोषण भी होता है।

महोदय, हिंदुस्तान भर में अगर कहीं श्रम सबसे ज्यादा सस्ता है तो वहां मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ इलाके में है, उड़ीसा में भी होगा क्योंकि वहां शोषण है। वह इलाका जो धन-धान्य से भरपूर है, धान का कटोरा जिसको कहा जाता है, पूरे हिन्दुस्तान को चावल जो खिलाता है, सब प्रकार के खनिज जहां पर हैं—ग्रेनाइट है, बॉक्साइट है, कोयला है, एलेक्जैंडर है, क्या नहीं है वहां। आज हिन्दुस्तान के जो बिजली के कारखाने हैं, वे मध्य प्रदेश के कोयले से चलते हैं। अगर देश का सर्वश्रेष्ठ ग्रेनाइट किसी जगह पर है तो वह मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ इलाके में है। अगर देश का सबसे मूल्यवान जैम ऐलेक्जैंडर कहीं पर है, सबसे मूल्यवान हीरे अगर कहीं पर हैं तो वह मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ इलाके में हैं। इस सदन में बार-बार बेलाडीला खदान की चर्चा हुई है। आपने भी विरोध किया है कि वह अंतर्राष्ट्रीय कंपनी को नहीं देनी चाहिए। हम भी आप के साथ हैं। वह लदान बहुराष्ट्रीय कंपनी को नहीं देनी चाहिए। आज देश का सबसे ज्यादा मूल्यवान लोहा मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ इलाके से निकलता है। अगर सबसे ज्यादा मूल्यवान जंगल कहीं हैं तो वह छत्तीसगढ़ का है। अत्यंत मूल्यवान लकड़ी वहां पर है। इसके बावजूद वहां के निवासी गरीब क्यों हैं? आज वहां पर 20-25 रुपए में मजदूर मिल जाता है। आज हिंदुस्तान के कई भागों में छत्तीसगढ़ का मजदूर काम करने के लिए जाता है। ठेकेदार ले जाते हैं उन्हें अपने-अपने स्थानों पर और उनसे काम कराते हैं जहां स्थानीय मजदूर को 100 रुपए

प्रतिदिन की मजदूरी मिलती है। इतनी भरपूर संभावनाएं होने के बाद भी, इतनी संपदा से भरा हुआ प्रदेश होने के बावजूद भी वहां का मजदूर रोज के 20 रुपये भी नहीं पाता है। जब अकाल पड़ता है तो उसके भूख से मरने के दिन आ जाते हैं और कई लोग भूख से प्राण त्याग देते हैं। छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में ऐसा होता है। महोदय, इसलिए छत्तीसगढ़ को अलग करने की मांग कई कारणों से चली है। यह मांग बहुत उचित भी है। छत्तीसगढ़--

"कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा।" जैसा मध्य प्रदेश है—वैसा छत्तीसगढ़ नहीं है। इसकी एक सुगठित इकाई है, इसकी एक भाषा है, इसकी एक संस्कृति है, इसकी एक सभ्यता है, इसके रहन-सहन की एक पद्धति है, यह सब एक कॉम्पैक्ट है और जब छत्तीसगढ़ राज्य बनेगा तो फिर उनको एक भावात्मक लगाव उसके साथ रहेगा। जहां पर भावनात्मक लगाव होता है, वहां दुनिया की बड़ी-बड़ी समस्याओं का, चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, अपने आपको दुनिया में ऊंचा उठा सकते हैं। महोदय, इज़राइल के साथ यही कुछ हुआ। इज़राइल कोई बहुत बड़ा देश नहीं है, वह बहुत छोटा सा देश है लेकिन वहां देश के साथ, राष्ट्र के साथ भावनात्मक लगाव है इसलिए आज वह दुनिया के नक्शे पर ऐसे उभरकर आ गया है कि उसकी गिनती दुनिया के बड़े देशों में होने लगी है, ताकतवर देशों में होने लगी है। छत्तीसगढ़ के साथ भी वह भावनात्मक लगाव जुड़ा हुआ है। एक-एक व्यक्ति छत्तीसगढ़ को पृथक राज्य बनाने के पक्ष में है। यह उसके लिये बहुत बड़ी ताकत रहेगी और जो वहां की धन सम्पदा है; वहां की वन सम्पदा है, वहां की भू सम्पदा है, वहां की कृषि सम्पदा है, इन सबको ठीक प्रकार से वितरित कर पायेगी तथा वहां के लोगों के रहन-सहन का स्तर ऊपर उठाएगी, वहां के प्रशासन को चुस्त-दुरूस्त बनायेगी और भ्रष्टाचार को समाप्त कर सकेगी। महोदय, जहां बड़े प्रदेश होंगे, वहां लालफीताशाही होगी और जहां लालफीताशाही होगी वहां भ्रष्टाचार जन्म लेगा, वहां घोटाले जन्म लेंगे। आपने बिहार का ठीक उदाहरण दिया है। बिहार बहुत बड़ा प्रदेश है, वह भी खनिज सम्पदाओं से भरा हुआ है। वहां उपजाऊ जमीन है, गंगा वहां से निकली हुई है, इसके बावजूद भी क्योंकि वह बहुत बड़ा प्रदेश है, अनवील्डी है, इसके कारण वह गरीब है, वहां भ्रष्टाचार है, वहां चारे तक के घोटाले होते हैं जिसमें 900, साढ़े 900 करोड़ के घोटाले में बड़े-बड़े लोग शामिल हो जाते हैं। महोदय, बड़े प्रदेशों में ऐसा होगा। छोटे प्रदेशों में अगर भावनात्मक लगाव हुआ तो ठीक है पर अगर भावनात्मक लगाव नहीं होगा तो वहां भी यह बात हो सकती है। अगर वहां पर भावनात्मक लगाव होगा जैसा कि छत्तीसगढ़ में है तो वह पहले अपने क्षेत्र की तरक्की के लिए पूरी ताकत लगाएंगे और यही सबसे ज्यादा जरूरी है। महोदय, मैंने पहले ही कहा कि हिन्दुस्तान में मध्य प्रदेश पिछड़ा हुआ इलाका है। शिक्षा में मध्य प्रदेश का नम्बर बहुत पीछे आता है, वहां प्रति व्यक्ति आय का नम्बर भी नीचे आता है, सिंचाई में भी मध्य प्रदेश बहुत नीचे है, सड़कों में बहुत नीचे है, उद्योग-धंधों में बहुत नीचे है लेकिन मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ इलाका तो औसतन मध्य प्रदेश से भी गया बीता है, उससे भी कमजोर है, उससे भी निर्बल यह छत्तीसगढ़ का इलाका आज बना हुआ है। आप अंदाजा कीजिए कि यदि मध्य प्रदेश इतना पिछड़ा हुआ है तो छत्तीसगढ़ कितना पिछड़ा हुआ होगा? इसीलिए वहां इतना शोषण होता है। और अब तो शोषण इस सीमा तक पहुंच गया है कि विस्फोट की तैयारी हो गयी है। आपने कहा कि प्रस्ताव वापिस ले लीजिए। मैं तो यह कहूंगा कि इस प्रस्ताव का शासन पक्ष भी समर्थन करे और आश्वासन दे कि निकट भविष्य में छत्तीसगढ़ बना देंगे। इसीलिए जरूरी है कि देश की एकता को भी बढ़ाया जाए, यह देश के हित में भी है। जैसा मैंने अभी कहा, यह मांग अब विस्फोट की स्थिति तक पहुंच गयी है और इसका एक नमूना मैं आपको बताता हूं। बिलासपुर में रेलवे का जोन बनना था। वह हर तरह से जायज था, सब बातें बिलासपुर में जोन बनाने के पक्ष में थी लेकिन इसके बाद भी वह नहीं बनाया गया और ऐसी जगह पर रेलवे मंत्री जी ने जोन बना दिया जो डिवीजन भी नहीं था। क्योंकि वह उनका क्षेत्र था इसलिए जो डिवीजन भी नहीं था, वह जोन बन गया। जो जोन बनने की सबसे ज्यादा पात्रता रखता है, वह जोन नहीं बनता है। इसका नतीजा यह हुआ कि वहां तोड़-फोड़ हुई, उपद्रव हुए, हिंसा हुई और लगभग तीन सौ करोड़ रुपये की सम्पत्ति बर्बाद हो गयी। क्या आप चाहते है कि इस तरह की हिंसा और आगे भी बढ़ती रहे? क्या आप चाहते हैं कि हिंसा विकराल रूप धारण करे? क्या आप चाहते हैं कि वह हिंसा देश की शांति को निगल जाए? अगर समय पर आपने इसे नहीं रोका तो इसके परिणाम क्या होंगे, कुछ नहीं का जा सकता। महोदय, लक्खीराम जी ने बहुत सारी बातें सामने रखी हैं कि किस प्रकार का उसका क्षेत्र है, कितनी उसकी जनसंख्या है, उसके पास खनिज सम्पदाएं कौन-कौन सी जुड़ी हुई हैं, सब बातें उन्होंने रख दी हैं। महोदय, दो करोड़ लोगों का वह प्रदेश बनेगा, 90 सीटें जहां पर विधान सभा की होंगी, वह कोई छोटा-मोटा राज्य नहीं होगा। वह वायबल राज्य होगा। यदि आपने अवसर दिया तो जिस तरह से आज पंजाब खड़ा हुआ

है, जिस तरह से हरियाणा अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा हुआ है और प्रति व्यक्ति आय में सबसे ऊपर का स्थान रखता है, ऐसा स्थान छत्तीसगढ़ भी बन सकता है। जहां ऐलैग्ज़ैंडर जैसा हीरा उपलब्ध हो, ऐसा मूल्यवान पत्थर उपलब्ध हो जो दुनिया में दुर्लभ है, क्या वहां कमी रह सकती है? यह बात तो निश्चित है कि कोई इस धरती से शोषण नहीं कर पाएगा, कोई मल्टीनेशनल आकर छत्तीसगढ़ को नहीं खरीद सकता है। छत्तीसगढ़ की धरती में स्वाभिमान है उस स्वाभिमान को खरीदने के लिए दुनिया का कोई भी उद्योगपति, दुनिया की कोई भी मल्टीनेशनल कम्पनी सक्षम नहीं है। यह भावात्मक लड़ाई है और इस भावात्मक लड़ाई को हर क्षेत्र से समर्थन मिलना चाहिए। मैं इस अवसर पर माननीय पिल्लै साहब की कई बातों से सहमत नहीं हूं। भारत अपने आप में एक राष्ट्र है, भारत एक जन है, भारत काश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक देश है। यह कल्पना कोई आज से नहीं है, यह हजारों वर्ष पहले की कल्पना है। कई हजार वर्ष पहले आज जैसा भारत का भौगोलिक रूप भले ही नहीं रहा हो लेकिन जब से भारत की कल्पना आई है—भरतखण्ड की, आर्यावृत्त की, जम्बू द्वीप की, यह कल्पना जब से आई है तब से भारतवर्ष जिस रूप में है, वह एक देश के रूप में है। छोटे-छोटे राजाओं ने समय-समय पर राज्य किया होगा, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि ये अलग-अलग राष्ट्र थे। चन्द्रगुप्त के समय में चाणक्य ने अगर सभी राज्यों को सिकन्दर के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए एकत्रित किया, संगठित किया तो वह एक राष्ट्र के सिद्धांत के ऊपर एकत्रित किया था। वह आज से दो हजार वर्ष पहले एकट्ठा किया था, कोई आज नहीं किया था, तब से यह राष्ट्र है, उसके पहले से यह राष्ट्र है।

भगवान राम ने अयोध्या में जन्म लिया था और उन्होंने रामेश्वरम में आ कर के भगवान शिव की पूजा करने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया था, तो कहां अयोध्या है, कहां रामेश्वरम है। जगद्गुरू शंकराचार्य ने जो चार तीर्थ बनाए हैं, उनमें से एक द्वारका में, एक रामेश्वरम में, एक पुरी में और एक बद्रीनाथ में है। क्या इससे पूरे राष्ट्र की कल्पना नहीं होती है? यह एक पूरे राष्ट्र की कल्पना देता है। चूंकि इस विषय में बात कही गई है इसलिए मैं इसको रिकार्ड पर लाना चाहता हूं कि ये पूरा भारत भूखण्ड जो है यह एक राष्ट्र है, एक जन है और इसके लिए पूरे भारतवासी समर्पित और संकल्पित है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, ये सारे तथ्य इस बात के लिए पर्याप्त हैं कि छत्तीसगढ़ एक पृथक राज्य बनना चाहिए। इसमें किसी जाति और सम्प्रदाय की मांग नहीं है, सभी जातियों के लोग वहां रहते हैं, सभी सम्प्रदाय के लोग वहां रहते हैं। यह बात जरूर है कि भाषाई एकता है, सांस्कृतिक एकता है, साहित्यिक एकता है। इसके लिए जो भावात्मक एकता की जरूरत है वह सब वहां पर मौजूद है। माननीय लक्खीराम जी ने जो प्रस्ताव रखा है वह बहुत मजबूत प्रस्ताव है। मैं इस बात को मानता हूं कि पिछड़ेपन का एकमात्र हल छोटे-छोटे राज्य बनाना नहीं है।...

**उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि)**: समय हो रहा है, आप कनक्लूड कीजिए।

**श्री राघवजी**: सर, मैं अभी समाप्त कर रहा हूं। मैं यह मानता हूं कि एकमात्र हल छोटे राज्य बना देना नहीं है। पर इसके लिए जो चीजें लगती हैं वह सब छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं और वह जो चीज है वह भावात्मक एकता है, वह वहां का इतिहास है, वह वहां की संस्कृति है, वह वहां की सभ्यता है जिसके साथ सब लोगों का जुड़ाव है। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के शेष भागों में रहने वालों का भी पूरा समर्थन उसके साथ है। सारे राजनीतिक दल इस मामले में एक हैं और इसीलिए मैं सरकार से इस बात का अनुरोध करूंगा कि माननीय लक्खीराम जी ने जो संकल्प प्रस्ताव रखा है, उस प्रस्ताव का वह भी समर्थन करें और मंत्री जी इस सदन में आश्वासन दें कि छत्तीसगढ़ को पृथक राज्य जल्दी से जल्दी हम बनायेंगे। इन्हीं शब्दों को कहते हुए मैं लक्खीराम अग्रवाल जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और सदन से भी यह अनुरोध करता हूं कि पूरे सदन के लोग इसका समर्थन करें।

**श्री जलालुद्दीन अंसारी** (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं श्री लक्खीराम अग्रवाल जी के संकल्प का समर्थन करने के लिए खड़ा हो रहा हूं। मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ का यह इलाका सात जिलों से बना हुआ है। इसमें रायगढ़, सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, बस्तर आदि है। बस्तर में भी उत्तर और दक्षिण है, दुर्ग और राजनंद गांव है। तो यह एक बड़ा क्षेत्र है। पिछड़ा हुआ भी है। इस क्षेत्र में सबसे बड़ी आबादी आदिवासियों की है। उसके बाद अनुसूचित जाति की है, उसके बाद पिछड़े और दूसरे लोग भी हैं, सब तरह के लोग हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह कोई आज की मांग नहीं। उस क्षेत्र के लोगों की यह बहुत पुरानी मांग है। वे चाहते हैं कि इस छत्तीसगढ़ के इलाके को एक राज्य का दर्जा दिया जाए। इस देश में हम तमाम पार्टी के लोग हैं। कभी किसी क्षेत्र में राज्य बनाने के लिए सब सहमत हो जाते हैं, कहीं-कहीं असहमत हो जाते हैं। अलग-अलग दृष्टिकोण

है। लेकिन राज्य बने। 1956 में इस देश के राज्यों का पुनर्गठन किया गया। उसका आधार एक भाषा का आधार माना गया था। बड़ी-बड़ी लड़ाइयां हुई। उसके जिक्र में मैं नहीं जाना चाहता हूं। इस सदन के सब वरिष्ठ साथी जानते हैं—चाहे वह आंध्र प्रदेश का निर्माण हो या दूसरे प्रदेशों का निर्माण हो। तो मैं कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ को राज्य इसलिए बनाया जाना चाहिए और राज्य बनाने के लिये जो कुछ आधार होते हैं तो अभी भाषा का आधार उस रूप में भी है। वहां एक भाषा है जिस पर आम सहमति है। लेकिन सामाजिक, आर्थिक विकास का भी एक आधार होना चाहिए राज्यों के निर्माण में। तो यह पिछड़ा हुआ क्षेत्र है यह प्राकृतिक संसाधनों से भरा है। अभी हमारे साथियों ने चर्चा की कि बिहार भी बड़ा राज्य है और बिहार के अन्दर जो छोटा नागपुर और संथाल परगना है और खास करके छोटा नागपुर, वहां पर प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जहां प्राकृतिक संसाधन ज्यादा है वहां उसका लाभ दूसरी जगह चला जाता है। उस प्रदेश में नहीं उस प्रदेश से बाहर चला जाता है दूसरे प्रदेशों में। लेकिन उस स्थानीय क्षेत्र की जनता को उसका लाभ नहीं मिलता है। नहीं मिलता है तो उनकी सामाजिक, आर्थिक अवस्था में विकास की बजाए ह्रास होता है। इस संबंध में मैं चर्चा करना चाहूंगा क बस्तर करीब-करीब आदिवासी बहुत जिला है। मैं रायपुर और बस्तर तथा दुर्ग के इलाके में गया हूं—एस०सी०, एस०टी० कमेटी में और अधिकारियों से भी बातें हुई थीं। अभी भी बस्तर के अन्दर ऐसे इलाके हैं जिनको कहते हैं प्रोटेक्टेड एरिया। सुरक्षित क्षेत्र। जो आजादी के पचास साल बाद भी आदिवासी माँ-बहनों से आप मिल नहीं सकते हैं। इसलिये नहीं मिल सकते हैं कि वह जो पुरानी अवस्था में जिस तरह से रहते थे, आजादी के 50 साल बाद भी उसी अवस्था में हैं। इसलिये वह प्रोटेक्टेड इलाका है, सुरक्षित क्षेत्र है। क्या उनको आप मेनस्ट्रीम में, मुख्य धारा में नहीं लाएंगे? या वे आदिकाल से जिस पिछड़ेपन में चले आ रहे हैं वही तक उनको छोड़ दिया जाएगा? तो सामाजिक, आर्थिक पहलू से भी, सांस्कृतिक और शैक्षणिक पहलू से भी उस क्षेत्र के विकास के लिये छत्तीसगढ़ के इलाके को एक अलग राज्य बनाने पर सरकार को संजीदगी से, गंभीरता से विचार करना चाहिये, मेरा यह कहना है। फिर अपने देश में अभी राज्यों में होड़ लगी हुई है कि छोटे-छोटे जिले बनाओ। एक समझ यह है कि छोटे-छोटे जिले बनते हैं तो विकास बहुत हो जाएगा। दूसरी समझ है कि वहां की जनता की सीधे प्रशासनिक कार्यवाहियों में शिरकत होगी, भागीदारी होगी। यदि छत्तीसगढ़ के इलाके में एक छोटा राज्य बनता है तो वहां की जनता की प्रशासनिक कार्यों में साझेदारी और भागीदारी होगी इसलिये कि बस्तर से छत्तीसगढ़ इलाके से भोपाल आने में कितना समय लगता है यह आप अंदाजा कीजिये। ...(व्यवधान)...भोपाल के लिये लगता है। मैं खुद मध्य प्रदेश के कई इलाकों में गया हूं शाम को चलिये तो दूसरे दिन पहुंचिए और चले जा रहे हैं। हम समझते हैं कि तमाम पहलुओं पर, उसके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृति, शैक्षणिक, प्रशासनिक पहलू हैं, इन तमाम पहलुओं पर केन्द्र सरकार को विचार करना चाहिये। वहां की जनता की पुरानी मांग है, उनकी आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं। उनकी आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा करना चाहिये। हम समझते हैं कि हमारे माननीय गृह मंत्री जी भी यहां मौजूद हैं, वह भी इस पर विचार करेंगे और अपनी सरकार, जो पूरी सरकार है, उसको भी विचार करना चाहिये। हमारे लक्ष्मीराम अग्रवाल जी और राघव जी ने कहा कि मध्य प्रदेश विधान सभा में भी प्रस्ताव पास हुआ है, जिस पर सभी दलों की सहमति है। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनने के सवाल पर विभिन्न दलों में काफी मतभेद हों, विरोध हो, ऐसी भी अवस्था नहीं है। यह एक अच्छी चीज़ है।

अभी कल परसों ही हम लोगों ने यहां भी चर्चा की है, उत्तराखंड का कल ही सवाल उठा है। हवाला दे रहे हैं कि तीन-तीन बार उत्तर प्रदेश की विधान सभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया और हमारे फर्नांडिस जी ने ठीक ही कहा कि कभी-कभी राज्य बनाने में राजनीतिक स्वार्थ भी सामने आता है। बिहार में पूर्व मुख्य मंत्री श्री लालू प्रसाद जी ने कहा था सर्वदलीय मीटिंग में मैं भी था उन्होंने कहा था कि हमारी लाश पर अर्थात् उनकी लाश पर झारखंड राज्य बनेगा। लेकिन अपना राज बचाने के लिये समर्थन लेने के लिये झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे कमोडिटी से उसका इस्तेमाल जो चाहता है केन्द्र में, राज्य में, दोनों जगह कर लेता है।

4.00P.M.

उन्होंने प्रस्ताव भी पास करा दिया यह हुआ राजनैतिक स्वार्थ लेकिन मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश में इस तरह की कोई बात नहीं है। वहां आम सहमति है, सभी लोग चाहते हैं। इस लिये मेरा अनुरोध होगा केन्द्र सरकार से, कि इस पर गंभीरता से, संजीदगी से छत्तीगढ़ राज्य के अलग निर्माण के लिये विचार करके इसको अमली जामा पहनाया जाए। यही मेरा निवेदन है। इसी निवेदन के साथ मैं श्री लक्ष्मीराम अग्रवाल जी के इस संकल्प का पुरजोर समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

†[شری جلال الدین انصاری (بہار): اپ سبھا ادھیکش مہودے - میں شری لکھی رام اگروال جی کے سنکلپ کا سمرتھن کرنے کیلئے کھڑا ہوا ہوں - مدھیہ پردیش کا "چھتیس گڑھ" کا یہ علاقہ 7 ضلعوں سے بنا ہوا ہے اسمیں رائے گڑھ - سرگوجہ - بلاس پور - رائے پور - بستر وغیرہ ہیں بستر میں بھی اتر اور دکشن ہیں - درگ اور راج نند گاؤں ہیں - تو یہ ایک بڑا اکشیتر ہے - پچھڑا ہوا بھی ہے - اس اکشیتر میں سب سے بڑی آبادی آدی باسیوں کی ہے اسکے بعد انوسوچت جاتی کی ہے - اسکے بعد پچھڑے اور دوسرے لوگ بھی ہیں - سب طرح کے لوگ ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی آج کی مانگ نہیں - اس اکشیتر کے لوگوں کی یہ بہت پرانی مانگ ہے - وہ چاہتے ہیں کہ اس چھتیس گڑھ کے علاقے کو ایک راجیہ کا درجہ دیا جائے. اس دیش میں ہم تمام پارٹی کے لوگ ہیں - کبھی کسی اکشیتر میں راجیہ بنانے کے لئے سب متفق ہو جاتے ہیں - کہیں کہیں غیر متفق ہو جاتے ہیں - الگ الگ درشٹی کون ہے - لیکن راجیہ بنے - ۱۹۵۶ میں اس جن کے راجیوں کا پونر گٹھن کیا گیا اسکا آدھار ایک بھاشہ کا آدھار مانا گیا تھا - بڑی بڑی بڑائیاں ہوئیں اسکے ذکر میں نہیں جانا چاہتا ہوں اس سدن کے سب ورشٹھ ساتھی جانتے ہیں - چاہے وہ آندھرا پردیش کا نرمان ہو یا دوسرے پردیشوں کا نرمان ہو - تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ چھتیس گڑھ کو راجیہ اس لئے بنایا جانا چاہیئے اور راجیہ بنانے کیلئے جو کچھ آدھار ہوتے ہیں تو ابھی بھاشا کا آدھار اس روپ میں بھی ہے - وہاں ایک بھاشا ہے جس پر عام اتفاق ہے - لیکن سماجک - آرتھک وکاس کا بھی ایک آدھار ہونا چاہیئے - راجیوں کے نرمان میں - تو یہ جو پچھڑا ہوا اکشیتر ہے یہ قدرتی سنسادھنوں سے بھرا ہے - ابھی ہمارے ساتھیوں نے چرچہ کی کہ بہار بھی بڑا راجیہ ہے اور بہار کے اندر جو چھوٹا ناگپور اور سنتھال پرگنہ ہے اور خاصکر کے چھوٹا ناگپور وہاں پر "پراکرتک سنسادھنوں" کی کمی نہیں ہے لیکن بد قسمتی یہ ہے کہ جہاں پراکرتیک سنسادھن زیادہ ہیں وہاں اسکا لابھ دوسری جگہ چلا جاتا ہے - اس پردیش میں نہیں اس پردیش سے باہر چلا جاتا ہے - دوسرے پردیشوں میں - لیکن اس استھانیہ اکشیتر کی جنتا کو اسکا لابھ نہیں ملتا ہے تو انکی سماجیک - آرتھیک اوستھا

†[]Transliteration in Arabic Script

میں محسوس لگی ہوئی ہے کہ چھوٹے چھوٹے ضلع بناؤ - ایک سمجھ یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے ضلع بنتے ہیں تو وکاس بہت ہو جائیگا - دوسری سمجھ ہے کہ وہاں کی جنتا کی سیدھے پرشاسنیک کارروائیوں میں شرکت ہو گی - بھاگیداری ہو گی - اگر چھتیس گڑھ کے علاقے میں ایک چھوٹا راجیہ بنتا ہے تو وہاں کی جنتا کی پرشاسنیک کاریوں میں سہاجھیداری اور بھاگیداری ہو گی - اسلئے کہ بستر سے چھتیس گڑھ علاقہ سے بھوپال آنے میں کتنا وقت لگتا ہے یہ آپ اندازہ کیجئے ... "مداخلت" ... بھوپال کیلئے لگتا ہے - میں خود مدھیہ پردیش کے کئی علاقوں میں گیا ہوں - شام کو چلئے تو دوسرے دن پہنچئے اور چلے جا رہے ہیں - ہم سمجھتے ہیں کہ ان تمام پہلوؤں پر اسکے سماجیک - آرتھیک - سانسکرتی - شیکشنیک - پرشاسنیک - پہلو ہے ان تمام پہلوؤں پر کیندر سرکار کو وچار کرنا چاہیئے - وہاں کی جنتا کی پرانی مانگ ہے انکی آکانکشائیں ہیں خواہشات ہیں - اور خواہشات کو پورا کرنا چاہیئے - ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے گرہ منتری جی بھی یہاں موجود ہیں وہ بھی اس پر غور کریں گے اور اپنی

میں وکاس کے بجائے ہراس ہوتا ہے - اس سمبندھ میں میں چرچا کرنا چاہونگا کہ بستر قریب قریب آدیواسی بہت ضلع ہے - میں رائے پور اور بستر تھا درگ کے علاقہ میں گیا ہوں - ایس - سی - ایس - ٹی کمیٹی میں اور ادھیکاریوں سے بھی باتیں ہوئیں - ابھی بھی بستر کے اندر ایسے علاقے ہیں جنکو کہتے ہیں پروٹیکٹڈ ایریا یا سرکشت اکشیتر - جو آزادی کے ۵۰ سال بعد بھی آدی واسی ماں بہنوں سے آپ مل نہیں سکتے ہیں اسلئے نہیں مل سکتے ہیں کہ وہ جو پرانی اوستھا میں جس طرح سے رہتے ہیں - آزادی کے پچاس سال بعد بھی اسی حالت میں ہیں اسلئے وہ "پروٹیکٹڈ" علاقہ ہے - سرکشت اکشیتر ہے - کیا انکو آپ "مین اسٹریم" میں مکھیہ دھارا میں نہیں لا سکیں گے یا وہ آدی کال سے جس پچھڑے پن میں چلے آرہے ہیں وہیں تک انکو چھوڑ دیا جائیگا - تو سماجیک - آرتھیک پہلو سے بھی سانسکرتک اور شیکشنیک پہلو سے بھی اس علاقے کے وکاس کیلئے چھتیس گڑھ کے علاقہ کو ایک الگ راجیہ بنانے پر سرکار کو سنجیدگی سے گمبھیرتا سے وچار کرنا چاہیئے - میرا یہ کہنا ہے - پھر اپنے دیش میں ابھی لداجیوں

سرکار جو پوری سرکار ہے اسکو بھی
وچار کرنا چاہیئے - ہمارے لکھی رام
اگروال جی اور راگھو جی نے کہا کہ
مدھیہ پردیش ودھان سبھا میں
بھی پرستاؤ پاس ہوا ہے - جس
پر سبھی دلوں کی سہمتی ہے - ایسا کوئی
مدا نہیں ہے کہ چھتیس گڑھ الگ راجیہ
بننے کے سوال پر مختلف دلوں میں کافی
مت بھید ہوں - ورودھ ہو - ایسی
بھی آؤ سمجھتا نہیں ہے - یہ ایک اچھی
چیز ہے -

ابھی کل پرسوں ہی ہم لوگوں نے یہاں
بھی چرچہ کی ہے - اتراکھنڈ کا کل ہی سوال
اٹھا ہے - حوالہ دے رہے ہیں کہ تین تین
بار اتر پردیش کی ودھان سبھا نے اتفاق
رائے سے پرستاؤ پاس کیا اور ہمارے
فرنانڈیز جی نے ٹھیک ہی کہا کہ کبھی کبھی
راجیہ بنانے میں راجنیتک سوارتھ بھی
سامنے آتا ہے - بہار میں پوروملکھیہ منتری
شری لالو پرساد جی نے کہا تھا سرودلیہ
میٹنگ میں میں بھی تھا تو انہوں نے
کہا تھا کہ ہماری لاش پر جھارکھنڈ
راجیہ بنے گا لیکن اپنا راجیہ بچانے
کیلئے اور سمرتھن لینے کیلئے جھارکھنڈ
مکتی مورچہ جیسے کو ڈیلی سے اسکا استعمال
جو چاہتا ہے کیندر میں - راجیہ میں
دونوں جگہ کر لیتا ہے - انہوں نے پرستاؤ
بھی پاس کر دیا - تو یہ ہوا راجنیتک
نیہت سوارتھ لیکن میں سمجھتا ہوں
کہ مدھیہ پردیش میں اس طرح کی
کوئی بات نہیں ہے - وہاں عام سہمتی
ہے سبھی لوگ چاہتے ہیں - اسی لئے
میرا انورودھ ہوگا کیندر سرکار سے
کہ اسپر سنجیدگی سے چھتیس گڑھ
راجیہ کے نرمان کیلئے وچار کرکے اسکو
عملی جامہ پہنایا جائے - یہی میرا انورودھ
ہے اسی انورودھ کے ساتھ میں شری لکھی رام
اگروال جی کے اس سنکلپ کا پرزور
سمرتھن کرتا ہوں - شکریہ

**श्री मूलचन्द मीणा** (राजस्थान): उपसभाध्यक्ष महोदय, इस सदन के सदस्य लक्खीराम अग्रवाल जी ने छतीसगढ़ क्षेत्र को एक अलग राज्य बनाने का जो संकल्प प्रस्तुत किया है, यह एक अच्छी विचारधारा का संकल्प है। भारत के राज्यों का जब पुनर्गठन किया गया था उस समय जो समस्याएं थीं, जिस तरीके का आधार था, जिस आधार को माना गया था, आज उसके बाद देश के अंदर काफी परिवर्तन हुआ है। आज इन छोटे-छोटे राज्यों की मांग देश के हर कोने से उठ रही है, चाहे हम आंध्र प्रदेश में तेलंगाना की बात करें, चाहे पश्चिम बंगाल के अंदर गोरखालैंड की बात करें, चाहे हम बिहार के अंदर झारखंड की बात करें, चाहें महाराष्ट्र के अंदर विदर्भ की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश में छतीसगढ़ की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड की बात करें, हर प्रांत के अंदर छोटे-छोटे राज्यों की मांग उठ रही हैं। अब इसका कोई तो कारण होगा।

महोदय, जिस समय राज्यों को बनाया गया था, इनका पुनर्गठन किया गया था, उस समय राजा लोग थे, उनकी स्टेटों को जोड़कर राज्यों का निर्माण किया गया था। मैं बतना चाहूंगा कि जब राजस्थान का गठन किया गया था तो उसमें 28 राजाओं के राज्यों को जोड़कर ही

किया गया था। आज धीरे-धीरे समस्याएं लोगों की समझ में आ रही हैं। लोगों की जानकारी जैसे-जैसे बढ़ रही है, समस्याएं सामने आ रही हैं। कुछेक विशेष एरिए के अंदर ही बड़े-बड़े राज्यो में सड़कों का काम, एरीगेशन का काम, एजुकेशन का काम हो रहा है और इसी असमानता को देखकर ही यह छोटे-छोटे राज्यों की मांग सामने आ रही है। गृहमंत्री जी यहां पर बैठे हुये हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि राज्यों के लिये पुर्गठन आयोग का गठन किया जाए और उस आयोग के माध्यम से, यह जो छोटे-छोटे राज्यों की मांग बढ़ रही है, उस समस्या को सोल्व किया जाए, नहीं तो इस देश के अंदर राष्ट्रीय एकता के लिये संकट पैदा होने की स्थिति आ सकती है।

महोदय, मैं छोटे राज्यों का समर्थन इसलिये करता हूं क्योंकि छोटे राज्य जहां बने हैं, उन राज्यों का विकास हुआ है, उस एरिए के लोगों का विकास हुआ है। वह राज्य विकासशील राज्य बन गये हैं, चाहे हम पंजाब की बात करें, चाहे हरियाणा की बात करें, चाहे हिमाचल प्रदेश की बात करें, चाहे हम गुजरात की बात करें, यह गुजरात भी महाराष्ट्र से ही अलग हुआ है, चाहे हम कर्नाटक की बात करें। जो भी राज्य अलग हुये हैं, वह आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से काफी आगे निकल चुके हैं। आज हम राजस्थान की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें प्रदेश, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें। यह बड़ राज्य हैं, इनकी अपनी समस्याएं हैं। लखनऊ का राज सारे उत्तर प्रदेश में चलता है, तो फिर उत्तराखंड की मांग क्यों नहीं उठेगी उताखंड क्षेत्र से लखनऊ पहुंचने में दो-दो, तीन-तीन दिन लग जाते हैं। एक प्रशासनिक सुविधा की आवश्यकता पड़े जाए तो आदमी को लखनऊ जाने में ही तीन दिन लगते हैं और उसे जो सुविधा मिलने वाली है उसमें समय लगता है। दूसरी बात, गृह मंत्री जी यहां बैठे हैं, जिन राज्यों के अंदर दूर-दूर के एरिए हैं, जहां पर जैसे पहाड़ी एरिए हैं, वहां समय पर विकास नहीं है। उत्तराखंड की मांग पहाड़ के लोगों की पैदा हुई। यह क्यों पैदा हुई? इसलिये कि जो मैदानी एरिया है उत्तर प्रदेश के अंदर, वहां उसके विकास के लिये एरिगेशन की व्यवस्था की गई है, वहां सड़क की व्यवस्था की गई है, वहां पढ़ाई के लिये स्कूलों की व्यवस्था की गई है, वहां ईलाज के लिये अस्पताल की व्यवस्था की गई है। तो वह देश के अंदर एक असमानता का वातावरण पैदा हुआ, इसलिये अलग-अलग राज्य बनाने की भावना पैदा हुई कि अलग राज्य बनेगा तो हमारा विकास होगा और यह बात सही भी है। अभी माननीय सदस्य पिल्लै जी कह रहे थे कि छोटे राज्यों की मांग सही नहीं है, यह नहीं होनी चाहिये, मैं इससे सहमत नहीं हूं, मैं इस बात का विरोध करता हूं कि आपकी जो भावना है, वह सही नहीं है। राष्ट्रीय एकता की जब हम बात करते हैं तो देश के अंदर इतने राज्य हैं, लेकिन भारत की एकता को किसी राज्य ने चैलेंज नहीं किया है। क्या राज्य बनाना किसी प्रकार का चैलेंज है एकता के लिये? भारत की एकता का तो इससे किसी प्रकार का कोई मतलब ही नहीं है। आज हरियाणा अलग राज्य बना, हिमाचल, कर्नाटक, गुजरात अलग राज्य बने, कहीं भारत की एकता के लिये खतरा पैदा नहीं हुआ, लेकिन आर्थिक दृष्टि से लोगों की समस्याएं जरुर दूर हुई। आज छत्तीसगढ़ राज्य की बात अग्रवाल जी ने कही, बात सही है कि छत्तीसगढ़ का इलाका आदिवासियों का इलाका है, वहां पर जमीन उपजाऊ है लेकिन साधनों की कमी है। मध्य प्रदेश के लिये केन्द्र सरकार से जो बजट दिया जाता है और स्टेट गवर्नमेंट का जो बजट है, छत्तीसगढ़ एरिया के जो जिले हैं, जिनके बारे में अग्रवाल जी बता रहे थे, उन जिलों में दूसरे जिलों की तुलना में बहुत कम पैसा खर्च हुआ है और इसीलिये वह एरिया पिछड़ा हुआ एरिया है। इसी प्रकार से राजस्थान के अंदर जो आदिवासी एरिया है, इन आदिवासियों की समस्याओं को दूर करने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा जो सहायता दी जाती है, वहां उसका सदुपयोग नहीं होता है। इसलिये स्वाभाविक है कि जब असमानता पैदा होगी एक साथ रहने वाले लोगों में, एक राज्य के अंदर लोग रहें और पूर्व के लोग तो सड़कों पर चलें, वहां स्कूल और कालेजों की भरमार हो, अस्पतालों की भरमार हो, उनके लिये सब साधन हों और एक एरिया के अंदर सड़कें भी नहीं हो, टूटी-फूटी हों, स्कूल-कालेजों की भी कमी हो, अस्पतालों की भी कमी हो, बिजली भी नहीं पहुंचे, सिंचाई के साधन भी नहीं मिलें, तो यह मांग होना स्वाभाविक है। मैं गृह मंत्री जी से एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग की आवश्यकता तो निश्चित रूप से हो गई है क्योंकि इस देश के अंदर कुछ राजनीतिक पार्टियां भी ऐसी हैं जो अपने स्वार्थ के लिये, अपने वोट की खातिर कुछ इस प्रकार की मांगें भी उठाने लग गई हैं और ऐसी बात भी कह देती हैं कि इस प्रकार का राज्य हम बनाकर देंगे यदि आप हमको वोट दें। मुझे बड़ा अफसोस है, गृह मंत्री जी, आप पहले भी गृह मंत्री थे, पिछली 15 अगस्त को देश के प्रधान मंत्री जी ने लाल किले से एक बात कही थी कि उत्तराखंड राज्य बनेगा। यह माग तो हर आदमी कर रही है कि उत्तराखंड राज्य बनाया जाए, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रधान मंत्री जी की घोषणा होने के बाद भी उत्तराखंड का कहीं अता-पता नहीं है, जब कि स्टेट की विधान सभा

तीन बार उस बारे में प्रस्ताव पास कर चुकी है। इसी प्रकार का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ का हुआ है, इसी प्रकार का प्रस्ताव झारखंड का हुआ है। तो गृह मंत्री जी, यदि देश की एकता को कायम रखना है और देश के लोगों में असमानता को दूर करना है तो आपको छोटे राज्य बनाने के लिये राज्य पुनर्गठन आयोग बनाना जरूरी है, आप इसे बनाइये नहीं तो यदि आप उत्तराखंड को अलग राज्य बनाएंगे तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और विदर्भ के लोग भी इस प्रकार का आंदोलन करेंगे, जिससे देश में अशांति पैदा होगी। इसलिये आपको पहले सोच लेना चाहिये कि जो आपकी एक स्ट्रांग रूप से स्टेट नहीं बनाने की नीति है, जो बंद मुट्ठी है, उसको खोलने से पहले एक आयोग गठित कर दें और सारे एरियाज़ के अंदर, जहां भी इस प्रकार की मांग है, डिमांड बढ़ रही है, उन सबकी जांच की जाए और उसके बाद ही राज्य बनाया जाए और राज्य बने।

महोदय, मेरी यह भावना है कि छोटे राज्य बनाना बहुत जरूरी हो गया है आप सर्वे करा लीजिये। जिन राज्यों में एस० सी और एस० टी० के लोग रहते है या जहा मजदूर लोग ज्यादा रहते हैं, गरीब लोग ज्यादा रहते हैं, उनमें यह भावना पैदा हो रही है कि हम मेहनत करते हैं, उसके बाद भी हम लोग गरीब के गरीब हैं और दूसरे लोग हमारी मेहनत का लाभ उठाते हैं। इसलिये आज उनमें यह भावना पैदा हो रही है। अगर झारखंड की बात हम करें तो सबसे ज्यादा कोयले की खदानें वहां पर हैं। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां भी कोयले की खदानें हैं, हीरे की खदानें हैं, मूल्यवान पत्थर वहां निकलते हैं। इसलिये उस ऐरिया के लोगों को अब यह ज्ञान हो रहा है कि हमारे साथ इस प्रकार का दोतरफा व्यवहार हो रहा है जो लोग हमारे ऐरिया से खनिज बाहर भेजते हैं, उनसे राज्य को लाभ होता है, उनको लाभ होता हैं, लेकिन वह पैसा हमारे विकास पर खर्च नहीं होता। वह पैसा राज्य के दूसरे हिस्सों में खर्च हो जाता है। यह भावना लोगों के दिलों में पैदा हो रही है। इसलिये छोटे राज्यों के गठन की मांग उठ रही है।

महोदय, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने हर राज्य का दौरा करके यह पाया था कि केन्द्र सरकार गांवों के विकास के लिये इतना पैसा भेजती है लेकिन वास्तविक रूप में वह पैसा उस विकास के कार्य पर खर्च नहीं होता है। अगर हम केन्द्र से एक रुपया भेजते हैं तो 85 पैसे रास्ते में अधिकारियों के हाथ में करप्शन के रूप में चले जाते हैं और 15 पैसे का काम वहां पर होता है। इसलिये राजीव गांधी जी ने इस व्यवस्था को बदलने का प्रयत्न किया। गांवों के विकास के लिये उन्होंने पंचायती राज्यों का पुनर्गठन किया और इसके लिये एक विधेयक संसद में पेश किया गया और वह पारित भी हुआ। उनका सपना था कि जो योजनाएं हम दिल्ली में बैठकर बनाते हैं, वे ग्राम पंचायत स्तर तक पहुंचे, ब्लॉक स्तर पर पहुंचें, जिला स्तर पर पहुंचे जिससे वास्तविक रूप से गांवों का विकास हो सके और उन योजनाओं का सही लाभ वहां की जनता को मिल सके।

**श्री दिपांकर मुखर्जी** (पश्चिमी बंगाल): महात्मा गांधी ने भी पंचायती राज की बात कही थी।

**श्री मूलचन्द मीणा:** बापू की बात को मैंने दरकिनार नहीं किया है। आपको दर्द नहीं होना चाहिये कि राजीव गांधी ने इस तरह की बात कही थी। एक नौजवान केन्द्र के अंदर इस तरह की भावना थी। मैं यह कह रहा था कि राजीव गांधी जी की इस तरह की सोच थी। संसद ने वह विधेयक पास कर दिया, पंचायतों का पुनर्गठन हो गया लेकिन कई राज्य सरकारें अभी ऐसी हैं जो पंचायतों को वह अधिकार नहीं दे रही हैं। इसलिये मैं अग्रवाल जी से कहना चाहूंगा कि आपकी राजस्थान सरकार ने वह अधिकार अपनी जेब में रख लिया है जब कि मध्य प्रदेश के अंदर वहां की सरकार ने यह अधिकार पंचायतों को दिया है। इस बात को मानना पड़ेगा आपको। हम विकेन्द्रीकरण में विश्वास रखते हैं। जिनकी विकेन्द्रीकरण की नीति होती है, वे लोग सही मानों में विकास के रास्ते पर जा सकते हैं। आज राजस्थान के अंदर जिस पार्टी का राज है, उनको प्रशासन के विकेन्द्रीकरण में विश्वास नहीं है। वे अपनी जेब में सत्ता रखना चाहते हैं। इसके लिये कई बार लोगों ने आंदोलन किये हैं कि पंचायतों को अधिकार दीजिए। अग्रवाल जी, आप अपनी पार्टी के लोगों को समझाइये कि पंचायतों को अधिकार दिया जाए। आज जिस प्रकार छत्तीसगढ़ की मांग उठ रही है, कल राजस्थान के अंदर भी हर जिले में मांग उठेगी।

इसलिए आपको एक नीति बनानी चाहिये। पार्टी स्तर पर भी अपनी एक नीति बनानी चाहिये। आपके इस प्रस्ताव का, संकल्प का हम समर्थन कर रहे हैं लेकिन इस आधार पर कर रहे हैं कि लोगों के अंदर जो असमानता है, देश में आर्थिक रूप से जो असमानता पैदा हुई है उसी के कारण देश में आज छोटे-छोटे राज्यों की मांगें उठ रही हैं। लक्खीराम जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया, यह बहुत अच्छा संकल्प है और मैं आशा करता हूं कि गृह मंत्री जी इस पर जरूर विचार करेंगे और नये राज्य, छोटे राज्य बनाने के लिए, उनका पुनर्गठन करने के लिए जिस आयोग का गठन करना है, वह करेंगे, जिससे लक्खीरामजी के रस्ताव की भावना भी पूरी हो जाए। जो प्रस्ताव लक्खीराम जी ने रखा है, वह अच्छा प्रस्ताव था लेकिन सरकार यदि फिर भी अपनी ओर से आयोग का गठन करती है तो मैं लक्खीराम जी से अनुरोध करूंगा कि वह अपने संकल्प को वापिस ले लें। धन्यवाद।

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI INDRAJIT GUPTA): Sir, I have been listening with great interest to this discussion on the Resolution brought forward by Shri Agarwal which is demanding the creation of a separate State for seven districts of Chhattisgarh in Madhya Pradesh. I am well aware of the fact that this is a very old demand of the people of that region. Of course, it is claimed here that it is also a demand of the people outside that region in the rest of Madhya Pradesh because the Madhya Pradesh Assembly had unanimously supported this demand. The arguments which have been brought forward in support of this demand are quite weighty. They cannot be lightly brushed aside. But, one thing I would like to say that the demand for reogranisation of States, particularly of the larger States, the bigger States, should not be based only on the single factor that we want smaller States. Larger States have advantages sometimes and disadvantages sometimes.

There is no doubt about that. Some big States are there like Madhya Pradesh itself, or for that matter, Uttar Pradesh which from the point of view of administrative convenience or administrative viability do suffer considerably. People suffer because of the very, very large size of the State; long distances separate them from the capital of a State, the administrative centres from the districts and so on. At the same time, if we look at the question of development, of construction of big projects or power projects or all other infrastructural projects, some of them now-a-days are of a nature which small States would find very, very difficult to entertain, quite beyond their resources. For larger States it is comparatively easier to go in for the kind of projects which people are wanting now-a-days. However, I am not at the moment emphasising any particular aspect because, Mr. Vice-Chairman, I feel that this is a matter which cannot be clinched like this in a single debate. Of course, if there is a unanimous demand, that is a different matter. But, if there are differences of opinion, this is not an issue which can be settled once and for all by means of voting. It should not be. It is a very important matter which calls for further discussion, further consultation, further consideration of so many positive and negative factors which are involved. A reference was made here to the non-official resolution in the Madhya Pradesh Assembly which was passed unanimously on the 18th March, 1994. In his reply to this debate the then Chief Minister of Madhya Pradesh had said that while he and his party supported the resolution,the matter would be pursued with the Central Government as and when another general reorganisation of States took place. That means, he was putting it in the context of another general reorganisation of the States and not as a matter which can be settled here now on the basis of one State separately. In November, 1994, the Government of India had communicated to the Madhya Pradesh Government that as and when any decision was taken again for a reorganisation of States, the Central Government would get in touch with the Madhya Pradesh Government. But, as you know, Sir, at the moment, there is no very clear thinking about the necessity or the possibility of setting up another commission for reorganisation of States. I

do not rule it out. Such a step may have to be taken sooner or later. But, at the moment, as far as the Government's thinking is concerned, they are not actively pursuing the idea of another reorganisation of States. I, personally, am of the opinion that many changes are taking place in the thinking of people. Many factors in the country have arisen in the recent period which are important questions, which require a fresh consideration. There are large numbers of people belonging to different communities, to different ethnic groups, to different linguistic groups, to different backward areas, less developed areas and so on, who are pressing forward their claims for reorganisation of States so that they can get recognition, clearer recognition, of their own identity. Today, in India, people want recognition of their own identity. I think the map of India will change gradually. It cannot remain exactly as it is today—boundaries will change, names will change—names are changing already—and some smaller States may come into existence. It does not mean that all larger States will have to be broken up or carved up. What I would like to suggest to the hon. mover of this resolution is, there is no point, just now, in this House of insisting on taking a firm decision on it because it would not, really, lead us anywhere. If the House passes this resolution, and then thereafter it is claimed that it is now binding on the Central Government and accordingly a seperate State of Chattisgarh must be set up, then that is not a very practical way of looking at things because there are so many aspects and problems which require much deeper consideration. On the other hand, if there is a vote, and, by chance, the Motion is lost, it should not be argued that once the House has defeated this Motion, the question of a separate State of Chattisgarh cannot be re-opened. I do not think that this is the way of looking at this kind of complicated problems. A motion like this helps in a very good discussion, I must say. From both sides, very weighty arguments, for and against the proposition, have been brought forward by hon. Members. I am thankful to them, I am thankful to the mover, and I am thankful to all participants, who participated in the discussion, for the very interesting points and arguments raised by them. These should be taken into consideration by the Centre. The Central Government should also very seriously look again into this problem because this problem is not confined to Chattisgarh only, rather it reoccurs and arises over and over in many cases.

As far as Uttarakhand is concerned, so that there may not be any misgivings in anybody's mind becasue some reference was made just now to the assurance which was given last year by the then Prime Minister that the State of Uttarakhand will be formed, I can assure the House that there is no question of going back from that assurance. The assurance has been given and it will be implemented. There are some reasons for the delay that is taking place in this matter. Though the Uttar Pradesh Assembly has passed three resolutions in favour of Uttarakhand, as you know, Sir, under Articles 2 and 3 of the constitution there are certain processes which the Constitution enjoins upon us to go through before a new state is created. We cannot short-circuit the provisions of the Constitution. We have to follow them. The Bill, which has to be prepared for the State of Uttarakhand has to be sent to UP Assembly. For many months there was no Assembly in UP. Now there is an Assembly. The Bill has to be sent to them for their reaction, for their comments, for their suggestions and so on. Then the Bill will come back to the Centre, and then only, after the Centre's approval can it be introduced in the Parliament.

Just preparing a Bill does not mean to say that there should be a new State of Uttarakhand. Many detailed arrangements have to be made and provided for in the new Bill. It is not only a question of demarcating or re-defining the boundaries. Certain portions

of the existing State will have to be cut off and a separate State formed. The boundaries will be changed. Apart from that, the whole structure of the new State in relation to its parent State, if I may say so, has to be gone into. Many things have to be redefined for example, where the capital will be located, where the High Court will be located, how the funds will be distributed between the proposed new State and the existing State, the revenues of the State, the expenditure, the different heads of accounts, etc. Then, the employees, the officers, who work in the State of Uttar Pradesh have to be divided between the two States. All these things require a deeper study and a proper formulation so that the change-over, the transition, can be really a viable one. But, I can assure Members that there is no question of going back on this. I know the people of Uttarakhand are getting very restless, they are very impatient, and naturally so. I sympathise with them. They may have to wait for a few more months. But, the State will come into being.

As far as the demand for Chhattisgarh is concerned, I would request the hon. mover of the Resolution not to press for a vote because it would not solve the problem just now. Those who are in support of this demand should continue their campaign for it among the people, throughout the country. Mobilise more support for it, if they so desire; marshall more arguments and facts in favour of it. Surely, we will come to a stage where the matter will have to be clinched, either by setting up another States' Reorganisation Commission, or, by some other method.

Therefore, I would request the hon. Member. It is not being rejected by the Centre. The matter is open. It will be kept open. The Centre will certainly study it very seriously and give it its utmost consideration. I would request the hon. Member not to press for a vote or for a division. I would request him to withdraw his Resolution. He may be rest assured that it will get the very serious consideration of the Centre.

Thank you.

**श्री लक्ष्मीराम अग्रवाल** : उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रस्ताव के संबंध में मैं समझता हूं कि सदन और माननीय गृह मंत्री जी ने भली-भांति उसके ऊपर विचार किया है। मैं कुछ बातें उनके ध्यान में लाना चाहता हूं। क्योंकि कुछ बातें पिल्लै साहब ने उठाई हैं। हालांकि उनकी बहुत सी बातों से भी मैं सहमत हूं, लेकिन एक बात मैं उनको स्पष्ट करना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ की मांग न· तो कोई पृथकतावादी मांग है, न कोई क्षेत्रीयतावादी मांग है, न कोई छोटे राज्य के वशीभूत होकर ही हम इस मांग को उठा रहे हैं, वास्तव में तो जब मध्य प्रदेश राज्य का निर्माण हुआ, मेरा ऐसा मानना है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने इस राज्य पर वैज्ञानिक ढंग से विचार ही नहीं किया। जैसा एक माननीय सदस्य रघवजी ने बताया कि जो कुछ देश में मेमोरेंडम आए या अलग राज्य की मांग आई, ज्ञापन आए उन सब पर विचार करके जो इलाका बच गया जिसके ऊपर किसी ने मेमोरेंडम दिया ही नहीं, ऐसे राज्य को राजस्थान से ले करके बिहार तक और एक मध्य प्रदेश का नाम दे दिया। जिसके बाद भी आप छत्तीसगढ़ के लोगों की भावना की सराहना करेंगे कि 40 साल तक हम धैर्यपूर्वक और शांतिपूर्वक रहे। हमने इसके लिए कभी कोई राजनीतिक आधार पर आंदोलन नहीं किए। कभी कोई हिंसात्मक ढंग से आंदोलन नहीं किया, गलत ढंग से आंदोलन नहीं किया। लेकिन यह बात मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि 40 साल में हमको यह अनुभव हुआ कि हमारे साधनों का दोहन तो होता है लेकिन हमारे साथ न्याय नहीं होता। हमारा विकास नहीं होता। हमारे सारे बहुमूल्य सामानों का दोहन होता है। आश्वासन हमको बड़े-बड़े दिए जाते हैं लेकिन जब न्याय की बात आती है तो विभिन्न बहाने लगाए जाते हैं।

महोदय, मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं दो बातों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में एक हाईकोर्ट जबलपुर है और उसकी खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर है और उससे बड़ा इलाका छत्तीसगढ़ है। जहां वर्षों से यह कहा जाता रहा है कि रायपुर में इसकी खंडपीठ की स्थापना हो। केन्द्र सरकार ने उसके जसवंत सिंह कमीशन की नियुक्ति की। उसने सिफारिश की कि रायपुर में खंडपीठ होने की आवश्यकता है। लेकिन वह मामला भी 7-8 साल से लटका दिया गया और यह सिद्धांत आड़े आ गया कि एक हाईकोर्ट का ज्यादा विघटन करना उचित नहीं है। समृद्ध इलाकों में हाई कोर्ट देने के लिए कोई सिद्धांत आड़े नहीं आते लेकिन जब

छत्तीसगढ़ को न्याय देने के बात आती है तब सिद्धांत आड़े आते हैं।

महोदय, इसी प्रकार से मैं कहना चाहता हूं कि बिलासपुर रेल मंडल हिन्दुस्तान में सब से ज्यादा आय देने वाला मंडल है। अधिकांश रेलवे जोनों से ज्यादा आय देने वाला मंडल है। वर्षों से लोगों की भावना जुड़ी हुई थी कि बिलासपुर में रेलवे का जोन हो। अनेक प्रधान मंत्रियों ने राजीव गांधी से ले करके श्री देवेगौड़ा तक सब ने कहा कि आपकी मांग न्यायसंगत है और आपके साथ न्याय होगा। नरसिंह राव जी ने कहा कि जब भी देश में दसवां जोन बनेगा तो वह पहला बिलासपुर बनेगा। मुझे इस बात को कहते हुए दुख होता है कि देश में 9 के 15 जोन हो गए, जहां आवश्यकता नहीं थी वहां रेलवे जोन हो गए, लेकिन छत्तीसगढ़ के साथ अन्याय कर दिया गया और एक टैक्नीकल कमेटी की रिपोर्ट के आधार को लेकर उसके हितों को ठुकरा दिया गया।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आप आश्चर्य करेंगे पिल्लै साहब, अगर आप कभी छत्तीसगढ़ में आएं और हमारे साथ घूमें तो देखेंगे कि हजारों गांव आज ऐसे हैं, मैं पीने के पानी की बात नहीं करता, प्राइमरी स्कूल तक नहीं हैं। बच्चों को अ,आ पढ़ाने के लिए वहां प्राइमरी स्कूल नहीं हैं। हजारों गांव ऐसे हैं, जहां आज भी प्राइमरी स्कूल के लिए भवन नहीं हैं, हम कॉलेज की बात नहीं करते, हमारे यहां बच्चे पेड़ों के नीचे बैठकर पढ़ते हैं। वह इतना बड़ा समृद्धिशाली इलाका है और वहां के लोगों की यह स्थिति है। इसका कारण यह है कि भोपाल, जो राजधानी है, वह इतनी दूर है कि वहां छत्तीसगढ़ की आवाज भी नहीं पहुंच पाती। उसका अपना कोई महत्व नहीं है। इसलिए मैंने पहले दोहराया था कि शायद इस देश में हिंसात्मक आंदोलन के द्वारा ही सरकार सोचने को बाध्य होती है, शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक ढंग की मांग को सरकार अनसुनी कर देती है और जिसके कारण आज देश में अनेक समस्याएं खड़ी हो रही हैं।

महोदय। छत्तीसगढ़ में भी समस्याएं खड़ी हो रही हैं। आज वहां नक्सलाइट आंदोलन फैल रहा है बस्तर में, राजनांदगांव में बलाघाट में। इसका कारण यही है कि इतने व्यापक पैमाने पर वहां लोगों का शोषण है। सारा प्रशासन मिसिनरी के भरोसे, कोई सरकार का कंट्रोल नहीं, कोई भोपाल का कंट्रोल नहीं, लालफीताशाही के मारे लोग परेशान हैं। वहां तरह तरह की लोगों की परेशानी है। जैसा मैंने पहले ही बताया, केरल राज्य से बड़े बड़े हमारे जिले हैं, बीस-बीस विधानसभा क्षेत्र का एक एक जिला है। छत्तीसगढ़ राज्य के लिए छत्तीसगढ़ के लोगों की अपनी भावना है, हमारी इसमें कोई क्षेत्रीयता की भावना नहीं है, कोई प्रतिक्रियावादी भावना नही है, हमारी किसी प्रकार से देश के हितों के विपरीत कोई भावना नहीं है। हम छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण एक विकास इकाई, एक भावनात्मक इकाई के रूप में चाहते हैं, जो स्वयं आत्मनिर्भर होकर वहां के दलित, पीड़ित अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों का तेजी से विकास कर सके। हमारे पास इतने साधन हैं कि हमको किसी दूसरे का मूंह नहीं देखना पड़ेगा। सिर्फ एक अच्छी भावना को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य का आंदोलन वहां चल रहा है और इसके लिए वहां के लोग अलग से छत्तीसगढ़ राज्य चाहते हैं।

महोदय, मैं आभारी हूं कि सदन के काफी महत्वपूर्ण सदस्यों ने, चाहे मूलचन्द मीणा जी हैं, राघवजी हैं, जलालुदीन अंसारी जी हैं, सबने मेरी, वहां के लोगों की भावना को समझते हुए मेरे प्रस्ताव का समर्थन किया है। माननीय गृह मंत्री जी, मैं आपको विचारधारा में अलग होते हुए भी बड़ा साफ आदमी मानता हूं। मैं इस बात को भी जानता हूं कि आप कभी कभी साफ बोलकर मुसीबत में भी फंस जाते हैं। आपने जो बातें गंभीरता से कही हैं, जैसा आपने कहा कि मैं बहुत सी बातों को समर्थन करता हूं और आपने छत्तीसगढ़ की सारी बातों को ध्यान से सुनकर यह कहा कि हम इसका अध्ययन करेंगे। मैं इस बात को मानता हूं कि नए राज्य निर्माण करने के लिए सरकार को अध्ययन की आवश्यकता होती है, विचार की आवश्यकता होती है और चूंकि मैं आपके आश्वासन पर विश्वास करता हूं और यह समझता हूं कि आप छत्तीसगढ़ के साथ न्याय करेंगे, इसलिए मैं अपने प्रस्ताव को वापिस लेता हूं। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): So you are withdrawing your Resolution.

**(The Resolution was, by leave, withdrawn)**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Now we will take up the second resolution. Prof. Bharati Ray.

SHRI NILOTPAL BASU (WEST BENGAL): Sir, the Ministry people are not here.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Is there anybody representing the Ministry?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY); I am here, Sir. ..*(Interruptions)*.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AJIT P.K. JOGI) *In the Chair]*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AJIT P.K. JOGI): Other Ministers are there to take notes.

---

**RESOLUTION RE: NEED FOR CONSTITUTION OF EXPERT COMMITTEE FOR QUALITY CONTROL AND STANDARDISATION OF NATIONAL EDUCATION**

PROF. (SHRIMATI) BHARATI RAY (WEST BENGAL): Sir, with your permission, I move the following Resolution:

> "This House resolves that, for the purpose of quality control and standardisation of educational performance at the national level, a committee of experts be constituted by the Union Government to explore various issues relating to examination system, including the following:—
>
> (a) Setting of examination papers that properly assess the knowlege, understanding, and capacity for analysis of the examinees, rather than mechanical memory work and mindless reproduction of those;
>
> (b) scope for variations in question designs that help to combat selective, standardised answers prepared by private coaching centres and tutors and induce the examinee to study the entire course of his/her own, based on prescribed textbooks (and not notebooks or made-easys).
>
> (c) suitable changes in marking systems that give credit for original ideas and analytical ability, particularly at the postgraduate level and for social sciences and are not unduly insistent on unique answers;
>
> (d) some standardisation in making and reduction in variability between universities to avoid undermarking or overmarking, so that students from good universities with a more rigorous standard and a tighter marking system are not penalised when compared, at the national level, with those from other universities with a more generous attitude towards marking;
>
> (e) fighting corruption ruthlessly, going to the extent of terminating the services of teachers found guilty of leaking question papers, favouring individuals with high marks, and tampering with marks, and closing down institutions with records of repeated examination malpractices;
>
> (f) and other relevant issues."

Sir, if there is any one issue today on which the politically divided, economically disparate and culturally diverse people of this country are unanimous, it is the issue of education. There is a peculiar anomaly here.

While there is a demand for education which, almost alone, is the key to advancement and opportunity, the nation is one at condemning the system as unfair, inefficient, faulty, directionless and wasteful. It needs to be over-hauled--but how? It requires enormous political power and enormous economic resources to formulate and implement a new education policy. Overnight it is not possible.

So, this afternoon, I will concentrate on only one aspect, a part of the whole, but part which encompasses the whole, that is the system of examinations. The educations system in our country has, unfortunately, become examination-centric. The syllabus, the main part of our system follows the examination, rather than the other way round. In fact, our education has become synonymous with exmination, and the latter typifies the ills that plague the former.

Where should we begin? at the beginning of the 19th century when the colo-